



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06072023-247098
CG-MH-E-06072023-247098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]
No. 472]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू)

और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,

(1) विनियम 2 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

- (i) खंड (ध) के बाद और खंड (न) से पहले, निम्नलिखित खंड (धक) जोड़ा जाएगा, अर्थात् –
“(धक) “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” का अर्थ है - प्रबंध-मंडल के वे मुख्य व्यक्ति, जिनकी परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा (2) की उप-धारा (51) में दी हुई है;”;
- (ii) खंड (खख) में, चिह्न तथा शब्द “(जिसमें शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम भी शामिल है)” हट जाएंगे;
- (iii) खंड (झझ) के बाद और खंड (ञञ) से पहले, निम्नलिखित खंड (ञञक) जोड़ा जाएगा, अर्थात् –
“(झझक) “वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” का अर्थ है – निर्गमकर्ता (इश्युअर) के वे अधिकारी और कर्मचारी जो उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य दल [जिसमें निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) शामिल नहीं है] के सदस्य हों, और जिसमें प्रबंध-मंडल के वे सभी सदस्य भी शामिल होंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक से एक स्तर नीचे के हों (जिसमें वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक भी शामिल होंगे, जो निदेशक मंडल का हिस्सा न हों), और जिसमें खास तौर पर कार्यों के प्रमुख (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) और कंपनी सचिव तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।”
- (iv) खंड (ञञ) हट जाएगा; और
- (v) खंड (तत) हट जाएगा;

(2) विनियम 45 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

- (i) खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-II” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-I” आ जाएंगे; और
- (ii) उप-विनियम (3) में, शब्द “तथा ट्रेच प्लेसमेंट मैमोरेण्डम” हट जाएंगे।

(3) विनियम 47 हट जाएगा;

(4) विनियम 50 में, उप-विनियम (3) में, खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-II” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-I” आ जाएंगे;

(5) अध्याय-V के बाद और अध्याय-VI से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“अध्याय – V-क

प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी की जाने वाली असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

सामान्य सूचना दस्तावेज और मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल करना

50क. (1) जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जारी करे और जो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो, वह स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात्, –

- (क) इन विनियमों की अनुसूची-1 के अनुसार जानकारी;
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार जानकारी (जो भी लागू हो); और
- (ग) कुछ और जानकारी, जो बोर्ड द्वारा देने को कहा जाए:

परंतु यह कि इस विनियम के प्रावधान 31 मार्च, 2024 तक इस प्रकार लागू होंगे कि 31 मार्च, 2024 तक या तो उनका पालन कर लिया जाए या फिर यह बताया जाए कि उनका पालन क्यों नहीं किया गया, और उसके बाद अनिवार्य रूप से लागू हो जाएंगे।

परंतु यह और कि इस विनियम के लागू होने की तारीख से पहले दाखिल किया गया शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेडंडम जिस अवधि के दौरान मान्य रहे उस अवधि के दौरान यदि निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) द्वारा असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का दूसरा या उसके बाद कोई और प्रस्ताव (ऑफर) लाया जा रहा हो, तो ऐसे में उनके लिए ऐसे दूसरे या उसके बाद लाए जाने वाले निर्गमों (इश्यू) हेतु सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करना जरूरी नहीं होगा, यदि उन्होंने इन विनियमों के अनुसार मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल कर दिया हो:

परंतु यह और कि जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) इन विनियमों के तहत लाए जाने वाले सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के मामले में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर चुका हो और जो उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) जारी करके उन्हें उसी अवधि के भीतर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो जिस अवधि में ऐसा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस मान्य रहे, उसके लिए सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करना जरूरी नहीं होगा, यदि उसने इन विनियमों के अनुसार मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल कर दिया हो:

स्पष्टीकरण-I. - इस विनियम के प्रयोजनार्थ 'या तो प्रावधानों का पालन कर लिया जाए या फिर यह बताया जाए कि उनका पालन क्यों नहीं किया गया' का अर्थ है - निर्गमकर्ता (इश्युअर) प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी की जाने वाली जिन असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो उनके लिए प्लेसमेंट मैमोरेडंडम की जगह सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करके 31 मार्च, 2024 तक पूरा-पूरा पालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यदि कोई एंटिटी 31 मार्च, 2024 तक प्रावधानों का पूरा-पूरा पालन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में वह इस प्रकार पालन न कर पाने या सभी प्रावधानों का पालन न कर पाने के कारणों का उल्लेख उसी प्रकार करेगी और साथ ही इसका उल्लेख भी उसी प्रकार करेगी कि पूरा-पूरा पालन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण-II. - इस विनियम में दी हुई किसी भी बात से, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी विनियमों के विनियम 37 या विनियम 59क(59ए) या दोनों के तहत, इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) लाने वाली किसी एंटिटी को, उप-विनियम (1) के तहत सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करने से छूट नहीं मिलेगी, जो ऐसी इंतजाम की स्कीम के लागू होने के बाद बनी नई एंटिटी द्वारा दाखिल किया जाना है।

स्पष्टीकरण-III. - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेडंडम" का अर्थ है - असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के पहले निर्गम (इश्यू) के संबंध में दाखिल किया गया वह प्लेसमेंट मैमोरेडंडम, जो इस विनियम के लागू होने की तारीख से पहले जारी किया गया हो और जो इस विनियम के लागू होने की तारीख को मान्य हो।

(2) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के पहली बार लाए गए जिस प्रस्ताव (ऑफर) के संबंध में सामान्य सूचना दस्तावेज जारी किया गया हो वह सामान्य सूचना दस्तावेज उस प्रस्ताव के खुलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगा।

(3) उप-विनियम (2) के अनुसार सामान्य सूचना दस्तावेज की अवधि जब तक मान्य रहे, तब तक यदि असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का दूसरा या उसके बाद कोई और प्रस्ताव (ऑफर) लाया जाता है, तो ऐसे में फिर से कोई और दूसरा सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करना जरूरी नहीं होगा।

(4) सामान्य सूचना दस्तावेज में यह उल्लेख किया जा सकेगा कि निर्गम (इश्यू) का आकार कितना है, यानि कि सामान्य सूचना दस्तावेज की अवधि जब तक मान्य रहे तब तक निर्गमकर्ता (इश्युअर) कितनी धनराशि जुटाना चाहता है।

(5) जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) उस अवधि के दौरान जब तक, यथास्थिति, सामान्य सूचना दस्तावेज या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम मान्य रहे, असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर दूसरा या उसके बाद कोई और प्रस्ताव (ऑफर) लाना चाहता हो, वह असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रत्येक दूसरे या उसके बाद लाए जाने वाले किसी और प्रस्ताव के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल करेगा।

(6) मुख्य सूचना दस्तावेज में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

- (क) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के उस प्रस्ताव (ऑफर) के ब्यौरे, जिसके संबंध में मुख्य सूचना दस्तावेज जारी किया जा रहा हो;
- (ख) वित्तीय जानकारी, यदि सामान्य सूचना दस्तावेज में दी गई वित्तीय जानकारी छह महीने से ज्यादा पुरानी हो;
- (ग) सामान्य सूचना दस्तावेज में पहले दी हुई जानकारी के लिहाज से यदि कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हों, तो उनकी जानकारी;
- (घ) ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं (जो सामान्य सूचना दस्तावेज जारी करने के बाद घटी हों) की जानकारी, जिसका उल्लेख सामान्य सूचना दस्तावेज में न किया गया हो और जो असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के उस प्रस्ताव से संबंधित हो जिसके संबंध में मुख्य सूचना दस्तावेज जारी किया गया हो; और
- (ङ) यदि दूसरा या उसके बाद कोई और प्रस्ताव शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की अवधि के मान्य रहने के दौरान लाया जा रहा हो और उसके संबंध में कोई सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल न किया गया हो, तो ऐसे में असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में अपेक्षानुसार वह जानकारी, जिसका जिक्र अनूसूची-1 में किया गया है।

स्पष्टीकरण. – इस विनियम के प्रयोजनार्थ “महत्वपूर्ण” का अर्थ होगा – ऐसी कोई बात जिसकी वजह से निवेशक द्वारा सोच-समझकर लिए जाने वाले निर्णय पर असर पड़ सकता हो।

(7) इस विनियम के अनुसार जो जानकारी दी जानी है, वह उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के वेबसाइटों पर भी डलवाई जाएगी, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो और जो पीडीएफ फॉर्मेट में या बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी अन्य फॉर्मेट में डलवाई जाएगी, ताकि उसे डाउनलोड किया जा सके।

(8) निर्गमकर्ता (इश्युअर) यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के तहत जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिए गए हों, वे ड्राफ्ट प्लेसमेंट मैमोरेण्डम दाखिल किए जाने की तारीख से या निर्गम (इश्यू) के खुलने की तारीख से, जो भी लागू हो, छह महीने से ज्यादा पुराने न हों:

परंतु यह कि निर्गमकर्ता (इश्युअर):

- (क) जिनकी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ या निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों और जो सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी विनियमों का पालन कर रहे हों, या
- (ख) जो उन एंटीटियों की सहायक कंपनियाँ (समनुपंगी / सब्सिडियरी) हों, जिन्होंने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराया हुआ हो और जो सूचीबद्धता संबंधी विनियमों का पालन कर रहे हों,

वे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बजाय उस अवधि की अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी सूचीबद्धता संबंधी विनियमों में दिए हुए फॉर्मेट में प्रस्तुत कर सकेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास दाखिल की जाने वाली सीमित समीक्षा रिपोर्ट (लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट) के साथ लगाई जाएगी, बशर्ते कि इस संबंध में जरूरी जानकारी (प्रकटीकरण/डिस्कलोज़र) भी दी जाए और यह भी बताया जाए कि जोखिम क्या-क्या हैं।

अध्याय – V-ख

बड़ी कंपनियों हेतु अपेक्षाएँ

50ख. (1) जो सूचीबद्ध एंटीटी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करेगी, वह 'बड़ी कंपनी' मानी जाएगी।

(2) ऐसी बड़ी कंपनियाँ उन शर्तों या अपेक्षाओं का पालन करेंगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाएँ।”

(6) अध्याय-VI में, विनियम 51 में, उप-विनियम (1) के बाद और उप-विनियम (2) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“(1क) जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) इन विनियमों के तहत सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल कर चुका हो और फिर उसके बाद जब तक उस सामान्य सूचना दस्तावेज की अवधि मान्य रहे उस दौरान वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर) जारी करके उसे सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो, वह एक मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल करेगा, जिसमें वह जानकारी भी दी जाएगी जो बोर्ड द्वारा देने को कही जाए।

(1ख) जो निर्गमकर्ता सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के मामले में इन विनियमों के तहत शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर चुका हो और फिर उसके बाद जब तक उस शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की अवधि मान्य रहे उस दौरान कमर्शियल पेपर जारी करके उसे सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो, उसके लिए सामान्य सूचना दस्तावेज दाखिल करना जरूरी नहीं होगा, यदि इन विनियमों के अनुसार मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल किया जा रहा हो।”

(7) अनुसूची-I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची आ जाएगी, अर्थात् -

“अनुसूची-I

प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) के संबंध में किए जाने वाले प्रकटीकरण

[विनियम 25(4), विनियम 28(2), विनियम 28(5), विनियम 41(3), विनियम 45(1) और विनियम 50(3) देखें]

जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) अपनी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) [जिन्हें सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया गया हो] मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो, वह इस अनुसूची में दी हुई जानकारी देगा।

1. अनुदेश:

- 1.1. प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की तारीख तक की स्थिति के अनुसार सभी सुसंगत और नवीनतम जानकारी दी जाएगी। सभी कथनों और दावों के स्रोत और आधार प्रकट (डिस्कलोज़र) किए जाएँगे। “मार्केट लीडर”, “लीडिंग प्लेयर”, आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल तभी किया जाएगा, जब इनकी पुष्टि उपयुक्त स्रोत का हवाला देकर की जा सकती हो।
- 1.2. आसान अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि विषय-वस्तु को आसानी से समझा जा सके। निर्गमकर्ता (इश्युअर) के कारोबार को समझाने के लिए यदि किन्हीं तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, तो आसान शब्दों में उनका अर्थ स्पष्ट किया जाएगा।

- 1.3. भविष्य में स्थिति कैसी होगी, इसका अनुमान लगाकर ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे जिन्हें साबित न किया जा सके।
- 1.4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जानकारी एक ही शैली में दी जाए। यदि प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरे दस्तावेज में उसी का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे वाक्यों से बचा जाए जिनमें प्रथम और अन्य पुरुष दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
- 1.5. आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए केवल एक ही मुद्रा का इस्तेमाल किया जाएगा।

2. व्याख्या:

- 2.1. असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के मामले में, अनुसूची में “असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों” (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) से संबंधित सभी संदर्भों का आशय ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर (नॉन-कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर) के रूप में लगाया जाएगा।
- 2.2. असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के माध्यम से जारी करने के मामले में, “निर्गम संबंधी दस्तावेज” (इश्यू डॉक्यूमेंट) से संबंधित सभी संदर्भों का आशय प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के रूप में लगाया जाएगा।
- 2.3. असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के प्राइवेट प्लेसमेंट मामले में, “निर्गम दस्तावेज” (इश्यू डॉक्यूमेंट) से संबंधित सभी संदर्भों का आशय, यथास्थिति, प्लेसमेंट मैमोरेण्डम या सामान्य सूचना दस्तावेज के रूप में लगाया जाएगा।

3. प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

- 3.1. जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए यहाँ दी हुई जानकारी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) और प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में दी जाएगी।
- 3.2. निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) के पहले पृष्ठ (फ्रंट पेज) में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:
 - (क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम, उसका लोगो (यदि कोई हो), कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर), स्थायी खाता संख्या, निगमन (कारपोरेशन) की तारीख और स्थान, ऐसे निर्गमकर्ता (इश्युअर) को विनियमित (रेग्युलेट) करने वाले किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) [जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, आदि] द्वारा जारी की गई अंतिम रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन) / पहचान संख्या (यदि कोई हो), उसके रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय या कारपोरेट कार्यालयों का पता, दूरभाष संख्या, वेबसाइट का पता और ई-मेल आईडी।
 - (ख) अनुपालन अधिकारी, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी और संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के नाम, उनकी दूरभाष संख्या, उनकी ई-मेल आईडी।
 - (ग) इनका नाम, पता, लोगो, इनकी दूरभाष संख्या, इनकी ई-मेल आईडी और इनके संपर्क व्यक्ति के ब्यौरे (जहाँ लागू हो) –
 - डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी),
 - अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर), [सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू]

- कानूनी लेखापरीक्षक,
 - क्रेडिट रेटिंग एंजिसियाँ, और
 - ऐसे अन्य व्यक्ति जो भी निर्धारित किए जाएँ।
- (घ) यह जानकारी (डिस्कलोज़र) कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 26 की उप-धारा (4) के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने के लिए निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) की प्रति डिलीवर की जा चुकी है।
- (ङ) निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) की तारीख, निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) का प्रकार।
- (च) जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का प्रस्ताव लाया जा रहा हो उनका स्वरूप, उनकी संख्या, उनकी कीमत तथा उनके माध्यम से जुटाई जाने वाली रकम और निर्गम का आकार (इश्यू साइज़) [मूल निर्गम (बेस इश्यू) या ग्रीन शू], जो भी लागू हो।
- (छ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 31 के तहत शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के जरिए लाए गए असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के प्रस्तावों (ऑफर) के सभी चरणों में कुल कितनी रकम जुटाए जाने का प्रस्ताव है [सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू]।
- (ज) निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू इश्यू) का नाम, लोगो और पता, और साथ ही उसकी दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, उसके वेबसाइट का पता तथा उसकी ई-मेल आईडी।
- (झ) निर्गम की समय-सारणी:
- (i) निर्गम के खुलने की तारीख;
 - (ii) निर्गम के बंद होने की तारीख;
 - (iii) निर्गम को सबसे पहले किस तारीख को बंद किया जा सकता है (यदि कोई हो)।
- (ञ) प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की क्रेडिट रेटिंग और साथ ही उस प्रतिभूति के लिए निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा प्राप्त की गई सभी रेटिंग (प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ भी दिया जाए)।
- (ट) उस स्टॉक एक्सचेंज का (उन स्टॉक एक्सचेंजों के) नाम, जहाँ प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।
- (ठ) पात्र निवेशकों के ब्यौरे (प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में लागू)।
- (ड) कूपन / लाभांश दर, कूपन / लाभांश का भुगतान कब-कब किया जाएगा, मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख, मोचन (रिडेंप्शन) की रकम और डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) के ब्यौरे।
- (ढ) निर्गम की हामीदारी (अंडरराइटिंग) के ब्यौरे, जिनमें हामीदारों द्वारा की जाने वाली हामीदारी की रकम के ब्यौरे भी शामिल हैं।
- (ण) यह तथ्य प्रस्तुत किया जाएगा कि बही-निर्माण (बुक बिल्डिंग) की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई है और साथ ही निर्गम संबंधी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने से संबंधित ब्यौरे भी दिए जाएंगे (प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में लागू)।

3.3. निर्गम दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) के अन्य पृष्ठों में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

3.3.1. निर्गमकर्ता (इश्युअर) की पूर्ण जिम्मेदारी:

‘निर्गमकर्ता (इश्युअर) की पूर्ण जिम्मेदारी’ के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:

"निर्गमकर्ता (इश्युअर), सभी जरूरी जाँच करने के बाद, इस बात की जिम्मेदारी स्वीकारता है और यह पुष्टि करता है कि इस निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में निर्गमकर्ता और निर्गम से संबंधित वह समस्त जानकारी दी गई है, जो निर्गम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और यह कि निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में दी हुई जानकारी समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से सत्य एवं सही है और गुमराह करने वाली जानकारी नहीं है, साथ ही यह कि इसमें दी हुई राय आदि ईमानदारी से प्रस्तुत की गई है और यह कि ऐसा कोई भी अन्य तथ्य नहीं है, जिसे शामिल न करने से यह दस्तावेज पूरी तरह से या इसमें दी हुई कोई जानकारी या दी हुई कोई राय आदि गुमराह करने वाली जानकारी बन जाए।"

3.3.2. निर्गमकर्ता (इश्युअर) के संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के ब्यौरे:

(क) सभी संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) का पूरा प्रोफाइल, जिसमें शामिल है - उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, उनकी आयु, उनके निजी पते, उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ, कारोबार या नौकरी में उन्हें कितने वर्षों का अनुभव है, पहले किन पदों पर रह चुके हैं, कहाँ-कहाँ निदेशक पद पर हैं, प्रत्येक संप्रवर्तक के अन्य वेंचर, उनकी विशेष उपलब्धियाँ, उनकी कारोबारी तथा वित्तीय गतिविधियाँ, उनकी फोटो, उनकी स्थायी खाता संख्या।

(ख) यह पुष्टि करते हुए एक घोषणा कि संप्रवर्तकों की स्थायी खाता संख्या, आधार संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, बैंक खाते (खातों) की संख्या तथा पासपोर्ट संख्या और निदेशकों की स्थायी खाता संख्या उन स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रारूप निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) का प्रारूप दाखिल करते समय प्रस्तुत की गई हैं, जहाँ असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।

3.3.3. क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे [निर्गम (इश्यू) के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति सहित], और साथ ही यह घोषणा कि निर्गम (इश्यू) लाए जाने और सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की तारीख को रेटिंग मान्य है। ऐसी प्रेस विज्ञप्ति निर्गम (इश्यू) के खुलने की तारीख से एक वर्ष से ज्यादा पुरानी न हो।

3.3.4. उस स्टॉक एक्सचेंज का (उन स्टॉक एक्सचेंजों के) नाम, जहाँ असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, और इस स्टॉक एक्सचेंज (इन स्टॉक एक्सचेंजों) से सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के संबंध में मिली सैद्धांतिक मंजूरी के ब्यौरे।

3.3.5. यदि असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे

में निर्गमकर्ता (इश्युअर) यह बताएगा कि निर्गम (इश्यू) के संबंध में नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन-सा होगा। निर्गमकर्ता (इश्युअर) उस स्टॉक एक्सचेंज के नाम का भी जिक्र करेगा, जहाँ बोर्ड द्वारा निर्धारित रिकवरी एक्सपेन्स फंड बनाया जा रहा हो या बनाया गया हो।

3.3.6. निर्गम से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे “निर्गम (इश्यू) की समय-सारणी” के तहत सारणी के रूप में दिए जाएँ, जैसा नीचे बताया गया है:

विवरण	तारीख
निर्गम के खुलने की तारीख	
निर्गम के बंद होने की तारीख	
पे-इन की तारीख	
आबंटन (अलॉटमेंट) की अनुमानित तारीख	

3.3.7. निम्नलिखित के नाम, लोगो, पते, वेबसाइट का यूआरएल, ईमेल, दूरभाष संख्या और संपर्क व्यक्ति:

(क) काउंसेल, (यदि कोई हो)

(ख) निर्गमों (इश्यू) के मर्चेन्ट बैंककार (बैंकर) और सह-प्रबंधक (को-मैनेजर), (प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में लागू नहीं, फिर भी यदि उनकी नियुक्ति की गई हो, तो यह जानकारी दी जाए)

(ग) कानूनी सलाहकार, (सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू)

(घ) निर्गमन बैंककार (बैंकर टू इश्यू), (सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू)

(ङ) प्रायोजक (स्पॉन्सर) बैंक, (सार्वजनिक निर्गम के मामले में लागू)

(च) गारंटी देने वाला, यदि लागू हो

(छ) अरेंजर, यदि कोई हो।

3.3.8. निर्गमकर्ता (इश्युअर) के बारे में

निर्गमकर्ता (इश्युअर) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी:

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) की कारोबारी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण;

(ख) समूह (ग्रुप) की संरचना;

(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) की कारोबारी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण;

(घ) उन शाखाओं या यूनिटों के ब्यौरे, जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) अपनी कारोबारी गतिविधियाँ (यदि कोई हों) चलाता हो;

(ङ) यदि नई परियोजनाओं में पैसा लगाया गया हो, तो परियोजना (प्रोजेक्ट) की लागत और पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया गया।

3.3.9. निर्गम लाने में हुए खर्च: निर्गम लाने में हुए खर्चों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया जाएगा कि प्रत्येक मद के संबंध में कितना खर्च हुआ, जिसमें शामिल है –

निम्नानुसार अलग-अलग अदा की जाने वाली फीस (जहाँ लागू हो) के ब्यौरे (जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि कितनी रकम अदा की जानी है, वह निर्गम के कुल खर्च का कितना प्रतिशत है और वह निर्गम के कुल आकार का कितना प्रतिशत है) :

- (क) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) [लीड मैनेजर] की फीस,
- (ख) हामीदारी (अंडरराइटिंग) का कमीशन,
- (ग) दलाली, ब्रिक्री हेतु अदा किए जाने वाला कमीशन और अपलोड करने संबंधी फीस,
- (घ) निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू इश्यू) को अदा की जाने वाली फीस,
- (ङ) कानूनी सलाहकारों को अदा की जाने वाली फीस,
- (च) विज्ञापन और मार्केटिंग पर किया जाने वाला खर्च,
- (छ) विनियामकों (रेग्युलेटर्स) [स्टॉक एक्सचेंज सहित] को अदा की जाने वाली फीस,
- (ज) छपाई और निर्गम से संबंधित स्टेशरी के वितरण पर किया गया खर्च,
- (झ) किसी भी नाम से अदा की जाने वाली कोई अन्य फीस, दिया जाने वाला अन्य कमीशन या किया जाने वाला अन्य भुगतान।

3.3.10. वित्तीय जानकारी:

- (क) तीन पूरे वर्षों के एकल तथा समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण [अर्थात् लाभ और हानि के विवरण, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और नकदी के विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट)], जो निर्गम संबंधी दस्तावेज की तारीख या निर्गम (इश्यू) के खुलने की तारीख, जो भी लागू हो, से छह महीनों से ज्यादा पुराने न हों। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) की जाए और उन्हें किसी ऐसे सांविधिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया / “आईसीएआई”) के पीयर रिब्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो।

हालाँकि, यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर), ऐसा सूचीबद्ध (लिस्टिड) रियल इस्टेट निवेश न्यास (रीट) / सूचीबद्ध (लिस्टिड) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) हो, जिसको बने हुए तीन पूरे वर्ष न हुए हों और ऐसे रियल इस्टेट निवेश न्यास / अवसंरचना निवेश न्यास के पुराने वित्तीय विवरण तीन वर्षों की रिपोर्टिंग अवधि तथा अंतरिम अवधि के कुछ हिस्से या पूरी अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तो उन अवधियों के संयुक्त वित्तीय विवरण प्रकट (डिस्कलोज़) दिए जाएंगे जिनके संबंध में ऐसे पुराने वित्तीय विवरण उपलब्ध न हों।

- (ख) जिन सूचीबद्ध निर्गमकर्ताओं (लिस्टिड इश्युअर) की ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्यूरिटीज़) या निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और

प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 (सूचीबद्धता संबंधी विनियम) का पालन कर रहे हों, वे अंतरिम अवधि (कुछ समय) हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बजाय, स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए जाने वाले निर्गम संबंधी दस्तावेज में सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ उस अंतरिम अवधि की अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी उसी फॉर्मेट में प्रकट कर सकेंगे जो सूचीबद्धता संबंधी विनियमों में दिया हुआ है, बशर्ते कि निर्गम संबंधी दस्तावेज में इस संबंध में जरूरी जानकारी (जिसमें जोखिम कारक भी शामिल हैं) दी जाए।

- (ग) जो निर्गमकर्ता रियल इस्टेट निवेश न्यास / अवसंरचना निवेश न हों और जो प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) जारी करना चाहते हों और जिनको बने तीन वर्ष पूरे न हुए हों, वे उतनी ही अवधि हेतु ऊपर (क) में दिए हुए वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे, बशर्ते कि:
- (i) निर्गम (इश्यू) स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाया जाए, फिर भले ही निर्गम का आकार (इश्यू साइज) कितना भी क्यों न हों; और
- (ii) यदि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर लाया गया हो, तो ऐसे में वह अर्हित संस्थागत विक्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स) द्वारा ही पैसा लगाने के लिए खुले।
- (घ) उपरोक्त वित्तीय विवरण लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट और जरूरी अनुसूचियों, पाद टिप्पणों, संक्षिप्त विवरण, आदि के साथ प्रस्तुत किए जाएँ।
- (ङ) समेकित तथा एकल आधार पर कामकाज संबंधी मुख्य-मुख्य मानदंडों और मुख्य-मुख्य वित्तीय मानदंडों का उल्लेख किया जाए।

गैर-वित्तीय क्षेत्र की एंटिटियों के लिए:

एकल आधार पर:

तुलनपत्र				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसमें प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य और निवेश के उद्देश्य से खरीदी गई संपत्ति शामिल है)				
अमूर्त आस्तियाँ (जिसमें निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियाँ भी शामिल हैं)				
वित्तीय आस्तियाँ (चालू और गैर-चालू आस्तियाँ)				
अन्य गैर-चालू आस्तियाँ				
चालू आस्तियाँ				
कुल आस्तियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ (देयताएँ) [चालू और गैर-चालू]				
- उधार (जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल है)				
- अन्य वित्तीय देनदारियाँ				

गैर-चालू देनदारियाँ				
चालू देनदारियाँ				
प्रावधान				
कुल देनदारियाँ				
इक्विटी (इक्विटी शेयर पूँजी और अन्य इक्विटी)				
कुल इक्विटी तथा देनदारियाँ				
लाभ और हानि				
कामकाज से कुल आमदनी				
अन्य आमदनी				
कुल आमदनी				
कुल खर्च				
अवधि के दौरान लाभ / हानि				
समग्र रूप से अन्य आमदनी				
समग्र रूप से कुल आमदनी				
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर:				
(क) मूल; और				
(ख) घटाकर निकाली गई				
नकदी के विवरण				
कामकाज से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई / से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई (क)				
निवेश करने के लिए शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई / निवेश से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई (ख)				
वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई / से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई (ग)				
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध रूप से कितनी बढ़ोतरी हुई / गिरावट आई				
शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य शेष				
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य				

समेकित आधार पर:

तुलनपत्र				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसमें प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य और निवेश के उद्देश्य से खरीदी गई संपत्ति शामिल है)				
अमूर्त आस्तियाँ (जिसमें निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियाँ भी शामिल हैं)				
वित्तीय आस्तियाँ (चालू और गैर-चालू)				
अन्य गैर-चालू आस्तियाँ				
चालू आस्तियाँ				
कुल आस्तियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ (चालू और गैर-चालू)				

- उधार (जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल है)				
- अन्य वित्तीय देनदारियाँ				
गैर-चालू देनदारियाँ				
चालू देनदारियाँ				
प्रावधान				
कुल देनदारियाँ				
इक्विटी (इक्विटी शेयर पूँजी और अन्य इक्विटी)				
कुल इक्विटी तथा देनदारियाँ				
लाभ और हानि				
कामकाज से कुल आमदनी				
अन्य आमदनी				
कुल आमदनी				
कुल खर्च				
अवधि के दौरान लाभ / हानि				
समग्र रूप से अन्य आमदनी				
समग्र रूप से कुल आमदनी				
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर:				
(क) मूल; और				
(ख) घटाकर निकाली गई				
नकदी के विवरण				
कामकाज से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई / से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई (क)				
निवेश करने के लिए शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई / निवेश से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई (ख)				
वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई / से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई (ग)				
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध रूप से कितनी बढ़ोतरी हुई / गिरावट आई				
शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य शेष				
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य				

अतिरिक्त जानकारी				
शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)				
नकदी और नकदी समतुल्य				
किए गए मौजूदा निवेश				
शुद्ध विक्री				
आमदनी (जिसमें ब्याज, कर, मूल्यहास और अमौरटाइज़ेशन आदि)				

आमदनी (जिसमें ब्याज और कर की रकम शामिल न की जाए)				
लाभांश की रकम				
आस्तियों (असेट्स) की तुलना में ऋण (डैट)				
कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात				
ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात				
चालू अनुपात				
कार्यशील पूँजी (वर्किंग कैपिटल) की तुलना में दीर्घावधि ऋण (डैट)				
चालू देनदारी (देयता) का अनुपात – चालू देनदारियाँ / गैर-चालू देनदारियाँ				
कुल आस्तियों (असेट्स) की तुलना में कुल ऋण (डैट)				

वित्तीय क्षेत्र की एंटिटियों के लिए:

एकल आधार पर:

यदि संबंधित क्षेत्र के विनियामक (रेग्युलेटर) द्वारा वित्तीय क्षेत्र की एंटिटियों के लिए कामकाज से संबंधित मानदंड निर्धारित न किए गए हों, तो ऐसे में वित्तीय क्षेत्र की एंटिटियों के लिए कामकाज से संबंधित मानदंड नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार होंगे:

विवरण				
तुलनपत्र				
आस्तियाँ				
संपत्ति, संयत्र और उपकरण				
वित्तीय आस्तियाँ				
वित्तीय आस्तियाँ – जिनमें संपत्ति, संयत्र और उपकरण शामिल नहीं है				
कुल आस्तियाँ				
देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ				
- डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट				
- ट्रेड के प्रति देनदारी				
- ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़)				
- उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)				
- सबॉर्डिनेटेड देनदारियाँ				
- अन्य वित्तीय देनदारियाँ				

गैर-वित्तीय देनदारियाँ				
- कर संबंधी मौजूदा देनदारियाँ (शुद्ध रूप से)				
- प्रावधान				
- कर संबंधी आस्थगित देनदारियाँ (शुद्ध रूप से)				
- अन्य गैर-वित्तीय देनदारियाँ				
इक्विटी [इक्विटी शेयर पूँजी तथा अन्य इक्विटी]				
कुल देनदारियाँ तथा इक्विटी				
लाभ और हानि				
कामकाज से आमदनी				
अन्य आमदनी				
कुल आमदनी				
कुल खर्च				
कर के बाद लाभ (वर्ष के लिए)				
समग्र रूप से अन्य आमदनी				
समग्र रूप से कुल आमदनी				
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (मूल)				
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (घटाकर निकाली गई)				
नकदी के विवरण (कैश फ्लो)				
कामकाज से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई / से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई (-)				
निवेश से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई / निवेश करने के लिए शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई (-)				
वित्तपोषण से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई / से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई (-)				
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध रूप से कितनी बढ़ोतरी हुई/ गिरावट आई (-)				
छमाही की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य (कैशफ्लो स्टेटमेंट के अनुसार)				

अतिरिक्त जानकारी				
शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)				
नकदी और नकदी समतुल्य				
उधार				
उधार (मूलधन की रकम)				
कुल आस्तियों (असेट्स) की तुलना में कुल ऋण (डैट)				
ब्याज से आमदनी				
ब्याज देने में हुआ खर्च				
वित्तीय लिखतों (इन्सट्रुमेंट्स) पर हुआ नुकसान				
कुल ऋण की तुलना में अशोध्य ऋण (बैड डैट)				
कुल ऋण (मूलधन की रकम) में 'श्रेणी-3 के ऋण' का प्रतिशत				
कुल ऋण (मूलधन की रकम) में शुद्ध रूप से 'श्रेणी-3 के ऋण' की रकम				
टियर-I पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)				
टियर-II पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)				

समेकित आधार पर:

विवरण				
तुलनपत्र				
आस्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण				
वित्तीय आस्तियाँ				
गैर-वित्तीय आस्तियाँ – जिनमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल नहीं है				
कुल आस्तियाँ				
देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ				
- डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेंट				
- ट्रेड के प्रति देनदारी				
- ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़)				
- उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)				
- जमाएँ				
- सबॉर्डिनेटिड देनदारियाँ				

- किराए के प्रति देनदारियाँ				
- अन्य वित्तीय देनदारियाँ				
गैर-वित्तीय देनदारियाँ				
- कर संबंधी मौजूदा देनदारियाँ (शुद्ध रूप से)				
- प्रावधान				
- कर संबंधी आस्थगित देनदारियाँ (देयताएँ) [शुद्ध रूप से]				
- अन्य गैर-वित्तीय देनदारियाँ				
इक्विटी [इक्विटी शेयर पूँजी तथा अन्य इक्विटी]				
नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटररेस्ट) से इतर				
कुल देनदारियाँ तथा इक्विटी				
लाभ और हानि				
कामकाज से हुई आमदनी				
अन्य आमदनी				
कुल आमदनी				
कुल खर्च				
कर के बाद लाभ (वर्ष के लिए)				
समग्र रूप से अन्य आमदनी				
समग्र रूप से कुल आमदनी				
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (मूल)				
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (घटाकर निकाली गई)				
नकदी के विवरण (कैश फ्लो)				
कामकाज से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई / से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई (-)				
निवेश से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई / निवेश करने के लिए शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई (-)				
वित्तपोषण से शुद्ध रूप से कितनी नकदी प्राप्त हुई / से जुड़ी गतिविधियों में शुद्ध रूप से कितनी नकदी लगाई गई (-)				
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध रूप से कितनी बढ़ोतरी हुई/ गिरावट आई (-)				
छमाही की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य (कैशफ्लो स्टेटमेंट के अनुसार)				

अतिरिक्त जानकारी				
शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)				
नकदी और नकदी समतुल्य				
उधार				
कुल आस्तियों (असेट्स) की तुलना में कुल ऋण (डैट)				
ब्याज से आमदनी				
ब्याज देने में हुआ खर्च				
वित्तीय लिखतों (इन्सट्रुमेंट्स) पर हुआ नुकसान				
उधार की तुलना में अशोध्य ऋण (बैड डैट)				

(च) पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्गमकर्ता (इश्युअर) की किन्हीं अन्य आकस्मिक देनदारियों (कंटेजेंट लाइबिलिटीज़) के ब्यौरों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया जाए कि कितनी रकम की और किस प्रकार की देनदारी बनती है।

(छ) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जारी की गई कारपोरेट गारंटी या चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) की रकम के साथ-साथ उस काउंटर पार्टी के ब्यौरे [अर्थात् काउंटर पार्टी का नाम और उसका स्वरूप, यानि कि वह समनुषंगी (सब्सिडियरी) है, संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) वाली एंटीटी है, समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी) है, आदि] भी दिए जाएँ, जिसकी ओर से इसे जारी किया गया है।

3.3.11. निर्गमकर्ता (इश्युअर) के गठन से अब तक का संक्षिप्त परिचय, जिसमें उसके निम्नलिखित क्रियाकलापों की भी जानकारी हो :

(क) पिछली तिमाही की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार उसकी शेयर पूँजी (शेयर कैपिटल) के ब्यौरे:

शेयर पूँजी	रकम
प्राधिकृत शेयर पूँजी (अथॉराइज़्ड शेयर कैपिटल)	
निर्गमित शेयर पूँजी (इश्यूड शेयर कैपिटल), अभिदत्त शेयर पूँजी (सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल) और समादत्त शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल)	

(ख) अंतिम तिमाही की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार पूँजी संरचना में परिवर्तन – पिछले तीन वर्षों का और मौजूदा वित्तीय वर्ष का:

परिवर्तन की तारीख [वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) / असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम)]	विवरण

(ग) इक्विटी शेयर पूँजी का ब्यौरा – पिछले तीन वर्षों का और मौजूदा वित्तीय वर्ष का:

आबंटन की तारीख	इक्विटी शेयरों की सं.	अंकित मूल्य	निर्गम कीमत	प्रतिफल (नकदी, नकदी से भिन्न, आदि)	आबंटन का स्वरूप	समेकित			टिप्पणियाँ
						इक्विटी शेयरों की सं.	इक्विटी शेयर पूँजी	इक्विटी शेयर प्रीमियम	

(घ) पिछले एक वर्ष में किसी एंटीटी के अर्जन (एक्विज़िशन) के ब्यौरे या फिर यदि किसी एंटीटी के साथ मिलकर कोई नई कंपनी बनी हो, तो उसके (समामेलन/अमैलगमेशन के) ब्यौरे।

(ङ) पिछले एक वर्ष में हुए पुनर्गठन (रीकंस्ट्रक्शन) के ब्यौरे:

प्रकार	घोषणा की तारीख	पूरा होने की तारीख	ब्यौरे

(च) अंतिम समाप्त तिमाही तक की स्थिति के अनुसार सूचीबद्धता संबंधी विनियमों में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में कंपनी के शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) के ब्यौरे।

(छ) अंतिम समाप्त तिमाही तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के दस शीर्ष इक्विटी शेयरधारकों की सूची:

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	इक्विटी शेयरों की कुल सं.	शेयरों की सं. जो डीमैट रूप में हैं	इक्विटी शेयरों की कुल सं. के % के रूप में कुल शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग)

3.3.12. कंपनी के निदेशकों के बारे में निम्नलिखित ब्यौरे:

(क) कंपनी के वर्तमान निदेशकों के ब्यौरे:

नाम, पदनाम और डीआईएन	आयु	पता	नियुक्ति की तारीख	यदि कहीं और निदेशक पद धारण किया हो, तो उसके ब्यौरे

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में और मौजूदा वित्तीय वर्ष में निदेशकों में हुए परिवर्तन के ब्यौरे:

नाम, पदनाम और डीआईएन	नियुक्ति की तारीख	पद की अवधि समाप्त होने की तारीख, यदि लागू हो	त्यागपत्र दिए जाने की तारीख, यदि लागू हो	टिप्पणियाँ

(ग) निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के ब्यौरे, और यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) में उनका कोई हित हो, तो उस हित के ब्यौरे (किस प्रकार का और कितना हित है) [वर्तमान वर्ष के और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के]

- (i) निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (असोसिएट) कंपनी द्वारा निदेशक को दी जाने वाली या दी गई पारिश्रमिक के ब्यौरे; कंपनी, उसकी समनुषंगी और सहयोगी कंपनियों में निदेशक की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) [जो पूरी तरह से घटाकर निकाली जाए] के ब्यौरे;
- (ii) निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (असोसिएट) कंपनी के लाभ के पद या स्थान पर किन्हीं नातेदारों की नियुक्ति के ब्यौरे;
- (iii) निम्नलिखित मामले में प्रत्येक निदेशक का किस प्रकार का और कितना हित (यदि कोई हो) है, इसका पूरा ब्यौरा:

- क. निर्गमकर्ता कंपनी के प्रचार-प्रसार में; या
- ख. निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) की तारीख से ठीक पिछले दो वर्षों में निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा अर्जित की गई किसी अचल संपत्ति में या निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा अर्जन किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी अचल संपत्ति में; या
- ग. जहाँ ऐसे निदेशक का हित फर्म या कंपनी का सदस्य होने के नाते हो, वहाँ यह उल्लेख किया जाए कि फर्म या कंपनी में उसका किस प्रकार का और कितना हित है, और साथ ही यह भी बताया जाए कि उसे निदेशक बनने हेतु प्रलोभन के रूप में या उसे निदेशक के तौर पर योग्य सिद्ध करने हेतु, अथवा निर्गमकर्ता कंपनी के प्रचार-प्रसार या गठन के संबंध में उसके द्वारा या फर्म अथवा कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, उसे या फर्म अथवा कंपनी को किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या शेयरों के रूप में या किसी और तरीके से कुल मिलाकर कितनी रकम अदा की गई है या अदा की जानी तय हुई है।

(घ) निदेशकों द्वारा प्रस्ताव (ऑफर) में या ऐसे प्रस्ताव के उद्देश्यों हेतु अलग से लगाई जा रही रकम के ब्यौरे।

3.3.13. प्रस्ताव (ऑफर) में निदेशकों, संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंधक का कोई आर्थिक या अन्य कोई महत्वपूर्ण हित हो, तो उसके ब्यौरे और साथ ही यह भी कि यदि ऐसा हित दूसरे व्यक्तियों के हितों से अलग है, तो ऐसे हित का क्या असर होगा।

3.3.14. निर्गमकर्ता (इश्युअर) के लेखापरीक्षकों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे:

(क) निर्गमकर्ता के लेखापरीक्षक के ब्यौरे:

लेखापरीक्षक का नाम	पता	नियुक्ति की तारीख

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षक में हुए परिवर्तन के ब्यौरे:

(ड) मूल्य के अनुसार असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटीज़) के शीर्ष दस धारकों की सूची (समेकित आधार पर):

क्र. सं.	धारकों का नाम	धारकों की श्रेणी	प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू)	निर्गमकर्ता (इश्युअर) की कुल बकाया असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का कितना प्रतिशत धारण किया हुआ है

(च) मूल्य के अनुसार वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर) के शीर्ष दस धारकों की सूची (समेकित आधार पर):

क्र. सं.	धारक का नाम	धारक की श्रेणी	प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू)	निर्गमकर्ता के वाणिज्यिक पत्र का कितना प्रतिशत धारण किया हुआ है

(छ) वित्तीय संस्थाओं या वित्तीय उधार देने वालों से मिली बैंक फंड आधारित सुविधाएँ / शेष उधार के ब्यौरे (यदि कोई हों), जिनमें संकर ऋण (हाइब्रिड डैट) शामिल हैं जैसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉण्ड / एफसीसीबी), वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय डिबेंचर (ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर) / अधिमानी शेयर (प्रेफरेंस शेयर):

पक्षकार का नाम (सुविधा के मामले में) / लिखत (इन्सट्रूमेंट) का नाम	सुविधा / लिखत का प्रकार	मंजूर / जारी की गई रकम	मूलधन की बकाया रकम	चुकौती की तारीख / चुकौती कब-कब की गई	क्रेडिट रेटिंग	जमानती / गैर-जमानती	जमानत के ब्यौरे

3.3.16. निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जारी की गई कारपोरेट गारंटी या चुनौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) की रकम तथा उस काउंटर पार्टी का नाम [जैसे समनुषंगी (सब्सिडियरी), संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) वाली एंटीटी, समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी), आदि का नाम] जिसकी ओर से इसे जारी किया गया हो, और साथ ही आकस्मिक देनदारी (डैट सर्विस रिवर्स एकाउंट गारंटी/अन्य पुट ऑप्शन, आदि सहित) के ब्यौरे (नकदी से भिन्न प्रतिफल (कन्सिडरेशन) हेतु, लिए गए किन्हीं बकाया उधारों/जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्क्यूरिटीज़) के ब्यौरे)। यह जानकारी दी जाएगी कि क्या:

- ऐसा उधार पूर्ण रूप से ले लिए गए हैं या नहीं अथवा ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ पूर्ण रूप से जारी की गई हैं या नहीं,
- ऐसे उधार अथवा ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ प्रीमियम या ड्रॉट (डिस्काउंट) पर लिए गए हैं या नहीं अथवा जारी की गई हैं या नहीं, अथवा
- ऐसे उधार अथवा ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ ऑप्शन का प्रयोग किए जाने के बाद लिए गए हैं या नहीं अथवा जारी किए गए हैं या नहीं।

3.3.17. यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) या आवास वित्त कंपनी हो, तो अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में आस्ति-देनदारी प्रबंधन (एएलएम) के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रकट की जाए:

क्र. सं.	जानकारी के विवरण	ब्यौरे
1.	निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्क्यूरिटीज़) के लिए गए पहले निर्गम (इश्युएंस) [फिर चाहे वे सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के जरिए लिए गए हों या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के जरिए] से आए पैसों में से दिए गए उधार के ब्यौरे	उधार देने संबंधी नीति बोर्ड, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों तथा वरिष्ठ प्रबंध मंडल, संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स), आदि से संबंधित सहयोगी (असोसिएट) या एंटीटियों को दिए गए उधारों का वर्गीकरण परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की अवधि के अनुसार उधारों का वर्गीकरण शीर्ष 20 उधार लेने वालों को दिए गए उधारों की कुल रकम दिए गए उधारों के ब्यौरे, जो उधार बकाया हो गए हों उनके ब्यौरे और जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो उनके ब्यौरे
2.	निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा दिए गए उधारों के ब्यौरे	निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा दिए गए उधारों का संक्षिप्त ब्यौरा जमानती उधारों की तुलना में गैर-जमानती उधारों की कुल रकम और उनका प्रतिशत
3.	शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) में परिवर्तन के ब्यौरे	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गमकर्ता (इश्युअर) में संप्रवर्तकों की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) में हुआ कोई परिवर्तन, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई सीमा से अधिक परिवर्तन हुआ हो
4.	प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) का प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र)	दिए गए उधारों के खंड (सेगमेंट) के अनुसार ब्यौरे और उनका प्रकार
5.	उधार लेने वालों के ब्यौरे	भौगोलिक स्थिति के अनुसार
6.	सकल एनपीए के ब्यौरे	खंड (सेगमेंट) के अनुसार
7.	आस्तियों और देनदारियों के ब्यौरे	परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की बची हुई अवधि के अनुसार अलग-अलग ब्यौरे
8.	निर्गमकर्ता (इश्युअर) [जहाँ वह एक आवास वित्त कंपनी हो] द्वारा दिए गए उधारों के अतिरिक्त ब्यौरे	
9.	स्टॉक एक्सचेंजों के यहाँ अंतिम आस्ति देनदारी प्रबंधन (असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट) संबंधी विवरण	

3.3.18. पिछले तीन वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में, किसी प्रकार के मीयादी ऋणों (टर्म लोन), ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्क्यूरिटीज़), वाणिज्यिक पत्र और अन्य उधारों के साथ-साथ कंपनी द्वारा दी गई कारपोरेट गारंटी या चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) के मामले में ब्याज और मूलधन की अदायगी में हुई समस्त चूक (चूकों) और/या हुई देरी (तकनीकी वजहों से हुई देरी सहित) के ब्यौरे।

- 3.3.19. कोई महत्त्वपूर्ण घटना या परिवर्तन [जैसे निर्गमकर्ता (इश्युअर) / संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के खिलाफ कोई महत्त्वपूर्ण विनियामक कार्यवाहियाँ शुरू किया जाना, कोई ऐसा मुकदमा जारी रहना जिसकी वजह से देनदारियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएं, कंपनी पुनर्संरचना (कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग), आदि], जिसका निर्गम (इश्यू) के समय जो वित्तीय स्थिति है उस पर / ऋण चुकाने की क्षमता पर असर पड़ सकता हो, तथा जिससे असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) / वाणिज्यिक पत्र के निर्गम (इश्यू) को या उसमें निवेश करने / निवेश करते रहने के निवेशक के निर्णय पर असर पड़ सकता हो।
- 3.3.20. जिस वर्ष निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) जारी किया गया हो उससे ठीक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी के संप्रवर्तक के खिलाफ सरकारी विभाग या कानूनी निकाय या विनियामक निकाय (रेग्युलेटरी बॉडी) द्वारा दायर किए गए किसी मुकदमे या की गई किसी कानूनी कार्रवाई के ब्यौरे, जो अभी भी जारी हो।
- 3.3.21. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में कानूनी रूप से देय बकाया रकम के भुगतान में हुई चूक के ब्यौरे और यदि भुगतान न किया गया हो, तो उसके ब्यौरे।
- 3.3.22. ऐसे लंबित मुकदमे के ब्यौरे, जिसमें निर्गमकर्ता (इश्युअर), संप्रवर्तक (प्रोमोटर), निदेशक, समनुषंगी (सब्सिडियरी), समूह कंपनियाँ (ग्रुप कंपनीज़) या कोई अन्य व्यक्ति शामिल हों, और जिसका परिणाम आने पर निर्गमकर्ता (इश्युअर) की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता हो, तथा जिससे ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) और / या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंश शेयर) के निर्गम (इश्यू) अथवा उसमें निवेश करने/ निवेश करते रहने के निवेशक के निर्णय पर असर पड़ सकता हो।
- 3.3.23. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में यदि निर्गमकर्ता से कोई बड़ी धोखाधड़ी की गई हो, तो उसके ब्यौरे और उस संबंध में निर्गमकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे।
- 3.3.24. आर्थिक अपराधों के मामले में निर्गमकर्ता के खिलाफ शुरू की गई ऐसी कार्यवाहियों के ब्यौरे जो अभी चल रही हों, यदि कोई हो तो।
- 3.3.25. दिए गए ऋण या दी गई गारंटी या दी गई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संबंध में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) के ब्यौरे।
- 3.3.26. निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में तब तक किसी ऐसे विशेषज्ञ द्वारा किया गया कोई कथन शामिल नहीं किया जाएगा जब तक वह विशेषज्ञ व्यक्ति कंपनी के गठन या प्रचार-प्रसार या प्रबंधन से किसी भी प्रकार से जुड़ा न हो और जिसने निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने के संबंध में लिखित रूप में अपनी सहमति न दी हो तथा जिसने रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्गम संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत किए जाने से पहले अपनी सहमति वापस न ली हो (जो भी लागू हो) और साथ ही निर्गम संबंधी दस्तावेज में इस आशय का कथन भी शामिल किया जाएगा।

- 3.3.27. यदि निर्गमकर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) हो और निर्गम (इश्यू) के उद्देश्यों के तहत ऐसी एंटीटी को ऋण दिया जाना हो जो 'समूह कंपनी' (ग्रुप कंपनी) हो, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट में जानकारी दी जाएगी :

क्र. सं.	उधार लेने वाले का नाम (क)	इस प्रकार उधार लेने वाले (समूह) को कितनी अग्रिम रकम दे दी गई है/ कितना ऋण दिया गया है (र. करोड़ में) (ख)	दिए गए ऋण का प्रतिशत (ग) = ख / कुल प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (एयूएम)

- 3.3.28. निवेशक निर्गम का विश्लेषण बेहतर तरीके से कर सके, इसके लिए निर्गमकर्ता (इश्युअर) अपने निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में निम्नलिखित जानकारी देगा :

- एनबीएफसी द्वारा किन-किन उद्योगों/क्षेत्रों (सेक्टर) से जुड़ी एंटीटियों को ऋण दिया गया है इसका संक्षिप्त ब्यौरा।
- एनबीएफसी द्वारा दिए गए जमानती ऋण की तुलना में कितना गैर-जमानती ऋण दिया गया और उसका प्रतिशत कितना रहा।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनबीएफसी में संप्रवर्तक की धारिता में यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित की गई सीमा से अधिक परिवर्तन हुआ हो, तो उसके ब्यौरे।

- 3.3.29. सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के मामले में की जाने वाली घोषणा:

- ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्क्यूरिटीज़) और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों) के आबंटन की प्रक्रिया और यदि पैसा लौटाया जा रहा हो, तो पैसा अनब्लॉक किए जाने की प्रक्रिया बताई जाएगी;
- निदेशक मंडल द्वारा यह बताया जाएगा कि निर्गम के माध्यम से जुटाया गया समस्त पैसा एक अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा, और पिछले निर्गम (इश्यू) में से आएँ पैसे (जिसमें इस्तेमाल में लाया गया पैसा और इस्तेमाल में न लाया गया पैसा शामिल है) के ब्यौरे भी उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसा बताया गया है;
- सार्वजनिक प्रस्ताव के जरिए लाए गए पिछले निर्गम के माध्यम से जुटाए गए पैसे में से इस्तेमाल में लाए गए पैसे और इस्तेमाल में न लाए गए पैसे के ब्यौरे तुलन-पत्र में प्रकट किए जाएंगे और वे तब तक तुलन-पत्र में प्रकट किए जाते रहेंगे जब तक कि पिछले निर्गम के माध्यम से जुटाए गए पैसे का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल के लिए बचा हुआ हो, और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि ऐसे पैसे का इस्तेमाल किस प्रयोजन से किया गया है, तथा यह भी कि जितने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया उसका निवेश किन-किन प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) और वित्तीय आस्तियों (फाइनेंशियल असेट) में किया गया है; और
- यदि पैसे का इस्तेमाल कुछ समय के लिए कहीं किया गया हो, तो उसके ब्यौरे भी दिए जाएंगे।

3.3.30. दावात्याग संबंधी खंड:

- (क) निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में नीचे दिए गए दावात्याग संबंधी खंड का उल्लेख साफ-साफ तथा गाढ़े अक्षरों में किया जाएगा:

"यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) दाखिल करने से किसी भी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिए या इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा मंजूरी आदि प्रदान की गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड न तो इस बात की कोई जिम्मेदारी लेता है कि जिस स्कीम या परियोजना के लिए निर्गम (इश्यू) लाए जाने का प्रस्ताव है उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और न ही वह इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में किए गए कथन या दी गई राय पूरी तरह से सही हैं। अग्रणी प्रबंधक (अग्रणी प्रबंधकों) ने यह प्रमाणित किया है कि निर्गम संबंधी दस्तावेज में जो जानकारी दी गई है वह मोटे तौर पर पर्याप्त है और जो विनियमों के अनुसार ही दी गई है। यह अपेक्षा इसलिए है, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम में निवेश करने के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले सकें।"

- (ख) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) की ओर से दावात्याग संबंधी कथन: इस आशय का कथन कि निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक निर्गम संबंधी दस्तावेज या विज्ञापन अथवा निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई या उसके कहने पर जारी की गई किसी अन्य सामग्री में कही गई बात को छोड़कर किसी और बात की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं और यह कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करता है, तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा।
- (ग) क्षेत्राधिकार के संबंध में दावात्याग: एक संक्षिप्त पैरा जिसमें उस क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया जाएगा जिसके कानूनी प्रावधान और नियमों तथा विनियमों के प्रावधान निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) के संबंध में लागू हैं।
- (घ) स्टॉक एक्सचेंजों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के दावात्याग संबंधी खंड।
- (ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित विनियामक प्राधिकरण का दावात्याग संबंधी खंड।

3.3.31. निदेशकों, लेखापरीक्षकों, निर्गम बैंककारों, न्यासियों, निर्गम (इश्यू) के सॉलिसिटर्स या अधिवक्ताओं, निर्गम (इश्यू) के कानूनी सलाहकार, निर्गम (इश्यू) के अग्रणी प्रबंधकों, निर्गम रजिस्ट्रार और उधार देने वालों (यदि जरूरी हो, तो करार की शर्तों के अनुसार) और विशेषज्ञों की सहमति।

3.3.32. डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) के नाम का उल्लेख किया जाएगा और साथ ही इस कथन का भी उल्लेख किया जाएगा कि डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) ने नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमति दे दी है, तथा डिबेंचर न्यासी से प्राप्त सहमति पत्र की प्रति भी लगाई जाएगी।

- 3.3.33. यदि प्रतिभूति के संबंध में गारंटी दी गई हो या चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) दिया गया हो या इसी प्रकार का कोई अन्य दस्तावेज दिया गया हो, तो उसकी प्रति लगाई जाएगी। यदि ऐसे दस्तावेज में भुगतान का पूरा ब्यौरा (यह जानकारी कि निवेशकों द्वारा गारंटी लागू कराने की प्रक्रिया क्या होगी और निवेशक को भुगतान कैसे किया जाएगा तथा उसकी समय-सीमा क्या होगी) न दिया गया हो, तो निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में इसका जिक्र किया जाएगा।
- 3.3.34. नकदी संबंधी विवरण की जानकारी जिसमें दैनिक गणना पद्धति (डे काउंट कन्वेंशन) के अनुसार ब्याज / लाभांश / रिडेंप्शन की रकम के भुगतान की तारीख का उल्लेख हो:
- (क) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संबंध में जिन तारीखों को भुगतान किया जाना हो, उन तारीखों के लिए दैनिक गणना पद्धति क्या होगी उसे प्रकट किया जाए;
- (ख) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के आबंटन और निर्गम की प्रक्रिया और समय-सारणी प्रकट की जाए;
- (ग) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) से जो पैसा आएगा, उसके ब्यौरे निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में उदाहरण आदि के माध्यम से प्रकट किए जाएं।
- 3.3.35. निर्गमकर्ता द्वारा वचन :
- (क) निवेशक इस निर्गम (इश्यू) में निवेश के संबंध में निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए, निवेशक निर्गमकर्ता तथा प्रस्ताव (इससे जुड़े जोखिमों आदि सहित) के संबंध में स्वयं द्वारा की गई जाँच-पड़ताल पर ही भरोसा करें। भारत के किसी भी विनियामक प्राधिकरण [जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भी शामिल है] द्वारा न तो इन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सिफारिश की गई है, न तो इन्हें मंजूरी आदि दी गई है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस दस्तावेज के पूरी तरह से सही होने या पर्याप्त होने की गारंटी देता है। निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से खंड "सामान्य जोखिम" के तहत पृष्ठ संख्या पर दिए गए "जोखिम कारकों" के विवरण की ओर आकृष्ट किया जाता है।"
- (ख) निर्गमकर्ता, सभी जरूरी जाँच करने के बाद, इस बात की जिम्मेदारी स्वीकारता है, और यह पुष्टि करता है कि इस निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में निर्गमकर्ता और निर्गम से संबंधित समस्त जानकारी दी गई है, और यह कि निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में दी हुई जानकारी समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से सत्य एवं सही है और किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से गुमराह करने वाली जानकारी नहीं है, साथ ही यह भी कि इसमें दी हुई राय आदि ईमानदारी से प्रस्तुत की गई है और यह कि ऐसा कोई भी अन्य तथ्य नहीं है, जिसे शामिल न करने से यह दस्तावेज पूरी तरह से या इसमें दी हुई कोई जानकारी या दी हुई कोई राय आदि किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से गुमराह करने वाली जानकारी बन जाए।

- (ग) “निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में ऋण प्रतिभूतियों के जिस धारक (जिन धारकों) का उल्लेख किया गया है निर्गमकर्ता ने उससे भिन्न किसी धारक (उनसे भिन्न किन्हीं धारकों) को साइड लैटर नहीं दिया है। बाद में यदि कुछ भी जोड़ा जाता है, तो उसकी जानकारी उस स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर डलवा दी जाएगी जहाँ ऋण सूचीबद्ध (लिस्टिड) है।

3.3.36. जोखिम कारक:

- (क) जोखिम कारकों को उनके असर के अनुसार घटते क्रम में प्रकट किया जाएगा। जहाँ कहीं भी जोखिमों से पड़ने वाले महत्वपूर्ण असर का उल्लेख किया जाता है, वहाँ यह भी प्रकट किया जाएगा कि कंपनी पर उसका कितना असर पड़ सकता है।
- (ख) जोखिम कारकों (यदि लागू हों) में निम्नलिखित शामिल होंगे पर जो इन तक ही सीमित नहीं होंगे:
- (i) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबंधित जोखिम।
 - (ii) ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में रखी गई जमानत (सिक्यूरिटी) [यदि कोई हो] से संबंधित जोखिम।
 - (iii) यदि भारत में या किसी दूसरे देश में किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में निर्गमकर्ता की किसी प्रतिभूति को सूचीबद्ध किए जाने से इनकार किया गया हो, तो उसके ब्यौरे।
 - (iv) यदि स्टॉक एक्सचेंजों में निर्गमकर्ता की असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों में कभी-कभार ट्रेडिंग हो रही हो, तो उसके ब्यौरे।
 - (v) बकाया ऋण लिखतों या जमाराशियों या उधारों के मामले में, महत्वपूर्ण शर्तों आदि के पालन में चूक करने संबंधी जानकारी, जैसे तय शर्तों आदि के अनुसार जमानत (सिक्यूरिटी) न रखना, ब्याज की अदायगी में कोई चूक करना, चुकौती आदि में चूक करना, डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व न बनाना, दांडिक ब्याज की अदायगी (जहाँ कही भी लागू हो) में चूक करना।
 - (vi) यदि जमानत रखी गई हो, तो उतनी जमानत बनाए रखने से संबंधित जोखिम या उसे लागू करवाने के मामले में जमानत की पूरी वसूली से संबंधित जोखिम की जानकारी।
 - (vii) जोखिम कारक जिसके तहत यह उल्लेख होगा कि एक ओर जहाँ डिबेंचर के संबंध में किसी भार (चार्ज) के तौर पर डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के पक्ष में, मूलधन और ब्याज की रकम के 100% तक जमानत रखी गई है, वहीं दूसरी ओर डिबेंचर न्यासी का यह कर्तव्य भी है कि वह इस बात पर नज़र रखे कि जमानत उतनी ही बनी रहे, फिर भी 100% रकम की वसूली इस बात पर निर्भर करेगी कि जमानत (सिक्यूरिटी) को लागू करवाने के समय बाजार की स्थिति कैसी है।

(viii) निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम संबंधी दस्तावेज में सभी शर्तों आदि (जिनमें साइड लैटर में तत्काल भुगतान किए जाने के संबंध में उल्लिखित खंड भी शामिल है) का उल्लेख किया जाएगा।

(ग) निर्गमकर्ता यह घोषणा करेगा कि अपेक्षाओं का पालन किया गया है और इस आशय का कथन भी करेगा कि निर्गम संबंधी दस्तावेज में जो कुछ भी दिया हुआ है उससे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता।

3.3.37. निगमित निकाय के मामले में निदेशक और यदि निर्गमकर्ता निगमित निकाय न हो, तो ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति यह पुष्टि करेंगे कि:

(क) निर्गमकर्ता प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42] तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, 1992, (1992 का 15), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का पालन कर रहा है;

(ख) अधिनियम और नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन) का इस प्रकार पालन किए जाने से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लाभांश या ब्याज अदा किए जाने या उनकी चुकौती किए जाने की गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही है;

(ग) प्रस्ताव के जरिए मिले पैसे का इस्तेमाल केवल उन्हीं उद्देश्यों से किया जाएगा जिनका उल्लेख निर्गम संबंधी दस्तावेज में किया गया है;

(घ) इस फॉर्म में और इसके साथ लगाए गए दस्तावेजों में जो कुछ भी बताया गया है, वह सत्य, सही और पूर्ण है, और इस फॉर्म की विषय-वस्तु से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है और जो संगम ज्ञापन (मैमोरेण्डम ऑफ असोसिएशन) और संगम-अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन) पर हस्ताक्षर करने वाले संप्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्डों के अनुसार ही है;

(ङ) "सामान्य जोखिम" के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:

"असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों में निवेश करने में जोखिम होता है, और निवेशकों को ऐसी प्रतिभूतियों में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे ऐसे निवेश से संबंधित जोखिम उठा न सकें। निवेशक निवेश के संबंध में सोच-समझकर ही निर्णय लें और वे इस प्रस्ताव (ऑफरिंग) में निवेश के संबंध में निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए, निवेशक निर्गम (इससे जुड़े जोखिमों आदि सहित) के संबंध में स्वयं द्वारा की गई जाँच-पड़ताल पर ही भरोसा करें। निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से इस निर्गम संबंधी दस्तावेज के खंड [•] के अंतर्गत दिए हुए जोखिम कारकों की

तरफ आकृष्ट किया जाता है। यहाँ जो जोखिम बताए गए हैं वे असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में बताए गए समस्त जोखिम नहीं हैं और निवेशकों को केवल इन्हीं जोखिमों के आधार पर ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने का निर्णय नहीं लेना चाहिए।”

3.3.38. असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गम (इश्यू) के मामले में, लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के स्वरूप के संबंध में कवर पृष्ठ पर गाढ़े अक्षरों में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:

"निर्गम संबंधी दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तावित लिखतें (इंस्ट्रूमेंट्स) डिबेंचर / बॉण्ड नहीं, बल्कि असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर हैं। इनमें डिबेंचरों/ बॉण्डों से अधिक जोखिम है और हो सकता है कि इनके साथ कोई गारंटी कूपन न हो और इनका पैसा केवल कंपनी के वितरणयोग्य लाभों में से ही लौटाया जाए या कंपनी द्वारा इस प्रयोजनार्थ लाए गए शेयरों के नए निर्गम, यदि कोई हो, से जुटाए गए पैसों में से ही लौटाया जाए।"

3.3.39. अन्य ब्यौरे:

- (क) डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व) / पूंजी मोचन आरक्षिति (कैपिटल रिडेंप्शन रिज़र्व) बनाना – इस संबंध में जो-जो कानूनी प्रावधान लागू होंगे उसके ब्यौरे
- (ख) निर्गम (इश्यू) / लिखत (इंस्ट्रूमेंट) से संबंधित विनियमों आदि [कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, आदि] के ब्यौरे
- (ग) भुगतान में हुई चूक (डिफॉल्ट) के ब्यौरे
- (घ) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) में हुई देरी की जानकारी
- (ङ) प्रतिभूतियों के आबंटन में हुई देरी की जानकारी
- (च) निर्गम (इश्यू) के ब्यौरे
- (छ) आवेदन की प्रक्रिया के ब्यौरे
- (ज) कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के पीएएस-4 के अनुसार वह जानकारी, जिसका उल्लेख इस अनुसूची में नहीं किया गया है (यदि कोई हो)।
- (झ) परियोजना (प्रोजेक्ट) के ब्यौरे: परियोजना की जेस्टेशन पीरियड; किस चरण तक परियोजना पूरी कर ली गई है; परियोजना कब तक पूरी की जानी है; परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट (यदि कोई हो) का सारांश; परियोजना का कौन सा चरण कब-कब पूरा किया जाएगा;

3.3.40. असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंश शेयर) के मामले में अन्य ब्यौरे:

- (क) किस प्रकार का लिखत (इंस्ट्रूमेंट) है: फिर चाहे वह संचयी हो या असंचयी, और उसके पूरे ब्यौरे;
- (ख) पैसा कैसे लौटाया जाएगा: वितरणयोग्य लाभों में से या मोचन के प्रयोजनार्थ शेयरों के नए निर्गम से या दोनों में से।

3.3.41. निर्गम संबंधी दस्तावेज में निम्नलिखित अन्य मामले और रिपोर्टें शामिल की जाएंगी, अर्थात्:

- (क) यदि ऋण प्रतिभूतियों / असंपिचरनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गम (इश्यू) से आएँ पैसे, या उस पैसे के किसी हिस्से का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से:
- (i) किसी कारोबार को खरीदने के लिए किया गया हो या किया जाना हो; या
 - (ii) किसी कारोबार में हित खरीदने के लिए किया गया हो या किया जाना हो और ऐसा कोई हित खरीदने की वजह से या उसके परिणामस्वरूप अथवा उसके संबंध में ऐसा कुछ करने की वजह से,

यदि कंपनी उस कारोबार की पूँजी में या उसके लाभ व हानि में या दोनों में पचास प्रतिशत से अधिक के हित के लिए हकदार हो जाए, तो ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसके नाम का उल्लेख निर्गम संबंधी दस्तावेज में किया जाएगा) द्वारा रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें इस यह जिक्र होगा कि-

क. निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने की तारीख से ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उस कारोबार में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई; और

ख. जिस तारीख को अंतिम बार उस कारोबार का लेखा तैयार किया गया था उस तारीख को उस कारोबार की आस्तियाँ (असेट्स) और देनदारियाँ (लाइबिलिटी) कितनी थीं, और यह तारीख निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिनों से पहले की नहीं होगी।

(ख) किसी अचल संपत्ति की खरीद या अर्जन (जिसमें अचल संपत्ति का अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला अर्जन भी शामिल है, फिर भले ही उसके संबंध में किसी तीसरे पक्षकार को केवल अग्रिम राशि का ही भुगतान क्यों न किया गया हो) के मामले में, निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

- (i) वेंडरों के नाम, उनके पते, विवरण और व्यवसाय की जानकारी;
- (ii) वेंडर को नकद रूप में अदा की गई रकम या अदा की जाने वाली रकम, और जहाँ एक से अधिक वेंडर हो, या जहाँ कंपनी उप-क्रेता हो, तो ऐसे में प्रत्येक वेंडर को इस प्रकार अदा की गई या की जाने वाली रकम का उल्लेख किया जाएगा, और साथ ही उनकी साख (गुडविल) के लिए अलग से अदा की गई या की जाने वाली रकम का भी उल्लेख किया जाएगा;

- (iii) कंपनी द्वारा जिस संपत्ति को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव हो उसमें किस प्रकार की हकदारी है या किस प्रकार का हित है; और
- (iv) उस संपत्ति के संबंध में पिछले दो वर्षों के भीतर पूरे किए गए प्रत्येक लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के ब्यौरे, जिसमें संपत्ति के किसी वेंडर या किसी व्यक्ति [जो लेनदेन के समय संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हो, अथवा कंपनी का निदेशक हो या प्रस्तावित निदेशक हो] का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित रहा हो, साथ ही लेनदेन की तारीख और ऐसे संप्रवर्तक, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक के नाम का उल्लेख भी किया जाएगा और लेनदेन के संबंध में ऐसे वेंडर, संप्रवर्तक, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक द्वारा या को अदा की जाने वाली रकम का भी उल्लेख किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि वेंडर की संख्या पाँच से अधिक हो, तो ऐसे में उपरोक्तानुसार जानकारी समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, जिसमें यह भी उल्लेख किया जाए कि कौन-कौन सी अचल संपत्ति निरंतर आधार पर ली जा रही है और वह कहाँ-कहाँ स्थित है / प्रत्येक संपत्ति का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा उन वेंडरों की संख्या भी बताई जाए जिनसे वह संपत्ति ली जा रही हो तथा यह भी बताया जाए कि कुल मिलाकर कितनी रकम अदा की जा रही है।

(ग) यदि :

- (i) ऋण प्रतिभूतियों / असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गम (इश्यू) से आए पैसे, या उस पैसे के किसी हिस्से का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरीके से कंपनी द्वारा इस प्रकार किया गया हो या किया जाना हो जिससे किसी दूसरे निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के शयरों का अर्जन हो रहा हो; और
- (ii) ऐसे अर्जन की वजह से या उसके परिणामस्वरूप अथवा उसके संबंध में ऐसा कुछ करने की वजह से, वह निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) कंपनी की समनुषंगी बन जाए, तो ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसके नाम का उल्लेख निर्गम संबंधी दस्तावेज में किया जाएगा) द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें इस यह जिक्र होगा कि -

क. निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने की तारीख से ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उस दूसरे निगमित निकाय को कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई; और

ख. जिस तारीख को अंतिम बार उस दूसरे निगमित निकाय के लेखे तैयार किए गए उस तारीख तक की स्थिति के

अनुसार उस निगमित निकाय की आस्तियाँ (असेट्स) और देनदारियाँ (लायबिलिटी) कितनी थीं।

(घ) रिपोर्ट में यह भी जिक्र होगा कि :

(i) यदि निर्गमकर्ता कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण समयों पर अर्जन के लिए प्रस्तावित शेयर होते, तो रिपोर्ट में जिस दूसरे निगमित निकाय की बात कही गई है उस निगमित निकाय के लाभ और उसकी हानि का, अर्जन किए जाने वाले शेयरों के संबंध में, निर्गमकर्ता कंपनी के सदस्यों पर क्या असर पड़ता और शेष शेयरों के धारकों के लिए ऐसी आस्तियों और देनदारियों के संबंध में क्या प्रावधान करना पड़ता; और

(ii) जहाँ दूसरे निगमित निकाय (बॉडी निकाय) की समनुषंगियाँ हों, वहाँ ऊपर पैरा (ग)(ii) के अनुसार निगमित निकाय और उनकी समनुषंगियों के लाभ या उनकी हानियों और आस्तियों एवं देनदारियों का जिक्र होगा।

(ङ) पैसा उधार लेने और देने से संबंधित नीति का उल्लेख किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि मीयादी ऋणों के मामले में क्या-क्या प्रमुख शर्तें आदि (जैसे पुनर्निर्धारण, चुकौती, जुमाने, चूक आदि से संबंधित शर्तें आदि) निर्धारित की जाएंगी; और जहां इस तरह उधार निर्गमकर्ता और उसकी समनुषंगियों (सब्सिडियरी) या सहयोगियों (असोसिएट) के बीच लिया या दिया जा रहा हो, वहाँ मीयादी ऋणों की शर्तें आदि (जैसे पुनर्निर्धारण, चुकौती, जुमाने, चूक आदि से संबंधित शर्तें आदि) क्या-क्या होंगी।

(च) यह बताया जाएगा कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास निर्गम संबंधी दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पिछले छह महीनों के भीतर, संप्रवर्तक समूह और निर्गमकर्ता कंपनी की संप्रवर्तक कंपनी के निदेशकों और निर्गमकर्ता कंपनी के निदेशकों और उनके नातेदारों द्वारा, निर्गमकर्ता कंपनी और उसकी समनुषंगी कंपनियों की कुल कितनी प्रतिभूतियाँ खरीदी गई या बेची गई।

(छ) निम्नलिखित से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी :

(i) महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स;

(ii) निर्गम संबंधी दस्तावेज की तारीख से अभिदान सूची बंद किए जाने की तारीख तक समस्त करार आदि (कॉन्ट्रैक्ट्स) और दस्तावेज निरीक्षण के लिए किस समय और कहाँ उपलब्ध होंगे।

(ज) लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट के संबंधित पृष्ठ संख्या का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने की तारीख से ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए रिलेटिव पार्टि ट्रॉजैक्शन के ब्यौरे दिए हुए हों।

(झ) निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने की तारीख से ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों आदि या

प्रतिकूल टिप्पणियों आदि का और कंपनी के वित्तीय विवरणों और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर उनकी वजह से पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त ब्यौरा तथा ऐसी प्रत्येक टिप्पणियों आदि या प्रतिकूल टिप्पणियों आदि के संबंध में कंपनी द्वारा उठाए गए और उठाए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कदम की जानकारी दी जाएगी।

(ज) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक कंपनी हो, तो उसके द्वारा जिस वर्ष निर्गम संबंधी दस्तावेज जारी किया गया हो उससे ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसके और उसके सभी समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) के संबंध में :

- प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कंपनियों से संबंधित किन्हीं पिछले कानूनी प्रावधानों के तहत शुरू की गई या की गई किसी जाँच, शुरू किए गए या किए गए निरीक्षणों अथवा शुरू की गई या की गई तहकीकातों (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) की जानकारी दी जाएगी;
- यदि कोई मुकदमा दायर किया गया हो (फिर चाहे वह चल रहा हो या न चल रहा हो), तो उसकी जानकारी दी जाएगी; और
- लगाए गए जुर्माने की जानकारी दी जाएगी या यदि किए गए किन्हीं अपराधों का समझौते के तहत निपटारा किया गया हो, तो उसकी जानकारी दी जाएगी।

(ट) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में निर्गमकर्ता के खिलाफ की गई बड़ी धोखाधड़ी (यदि कोई की गई हो) की जानकारी दी जाएगी और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि उस संबंध में निर्गमकर्ता द्वारा क्या कार्रवाई की गई।

निर्गम संबंधी दस्तावेज में दिया जाने वाला संक्षिप्त विवरण:

प्रतिभूति का नाम [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के नाम (जिनमें शामिल हैं - कूपन / लाभांश, निर्गमकर्ता का नाम और परिपक्वता का वर्ष, अर्थात् 8.70% XXX 2015)] ।	
निर्गमकर्ता (इश्युअर)	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का प्रकार	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का स्वरूप (जमानती या गैर-जमानती)	
वरीयता-क्रम (पहले या बाद में)	
पात्र निवेशक	
सूचीबद्धता (लिस्टिंग) [उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम (स्टॉक एक्सचेंजों के नाम) जहाँ उसे सूचीबद्ध किया जाएगा तथा सूचीबद्धता की समय-सीमा]	
लिखत को मिली रेटिंग	
निर्गम का आकार	
न्यूनतम अभिदान (सब्सक्रिप्शन)	
अति-अभिदान (ओवरसब्सक्रिप्शन) की रकम रखने का विकल्प (रकम)	
निर्गम के उद्देश्य / वह उद्देश्य जिसके लिए पैसे की जरूरत है	

यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक एनबीएफसी हो और निर्गम के उद्देश्यों में ऐसी किसी एंटिटी को उधार दिए जाने का उल्लेख हो जो एक 'समूह (ग्रुप) कंपनी' हो, तो ऐसे में निम्नलिखित फार्मेट में जानकारी देनी होगी:	
जुटाए गए पैसे (प्रोसीड्स) के इस्तेमाल के ब्यौरे	
कूपन / लाभांश की दर	
कूपन दर का बढ़ना / घटना	
कूपन / लाभांश का भुगतान कब-कब किया जाएगा	
कूपन / लाभांश के भुगतान की तारीखें	
लाभांश के मामले में संचयी / असंचयी	
कूपन का प्रकार [स्थिर (फिक्स्ड), अस्थिर (फ्लोटिंग) या अन्य किसी प्रकार का]	
कूपन पुनर्निर्धारण (रीसेट) प्रक्रिया (जिसमें दरें, स्प्रेड, प्रभावी तारीख, ब्याज दर कैप एवं फ्लोर का पुनर्निर्धारण शामिल है)	
दैनिक गणना आधार (डे काउण्ट बेसिस) [वास्तविक / वास्तविक]	
आवेदन की रकम पर ब्याज	
चूक होने पर ब्याज दर	
परिपक्वता की अवधि	
रिडेंप्शन की तारीख	
रिडेंप्शन की रकम	
रिडेंप्शन प्रीमियम / छूट (डिस्काउंट)	
निर्गम की कीमत	
छूट जिस पर प्रतिभूति जारी की जाती है और ऐसी छूट के परिणामस्वरूप कितना मुनाफा होगा	
प्रीमियम / छूट (डिस्काउंट), जिस पर प्रतिभूति का रिडेंप्शन किया जाता है और ऐसे प्रीमियम / छूट (डिस्काउंट) के बाद मिलने वाली रकम	
पुट ऑप्शन की तारीख	
पुट ऑप्शन की कीमत	
कॉल ऑप्शन की तारीख	
कॉल ऑप्शन की कीमत	
पुट ऑप्शन का प्रयोग किए जाने के संबंध में सूचित करने का समय (निवेशक के लिए पुट ऑप्शन का प्रयोग करने से पूर्व निर्गमकर्ता को किस समय-सीमा के भीतर सूचित करना जरूरी है)	
कॉल ऑप्शन का प्रयोग किए जाने के संबंध में सूचित करने का समय (निवेशक के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने से पूर्व निर्गमकर्ता को किस समय-सीमा के भीतर सूचित करना जरूरी है)	
अंकित मूल्य	
आवेदन की न्यूनतम रकम और उसका गुणज (मल्टिपल)	
निर्गम का समय	
निर्गम के खुलने की तारीख	
निर्गम के बंद होने की तारीख	
निर्गम को सबसे पहले किस तारीख को बंद किया जा सकता है (यदि कोई हो)	

पे-इन की तारीख	
आबंटन की अनुमानित तारीख	
लिखत का निपटान किस रूप में किया जाएगा	
निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी)	
ब्याज / लाभांश / मोचन की तारीखों का प्रकटीकरण	
रिकॉर्ड तिथि	
निर्गम (इश्यू) की सभी शर्तें आदि (जिनमें शामिल हैं – साइड लैटर, तत्काल भुगतान करने संबंधी खंड, आदि)	
जमानत (सिक्यूरिटी) [जहाँ लागू हो] का विवरण [जिनमें शामिल है - जमानत (सिक्यूरिटी) का प्रकार (चल / अचल / मूर्त, आदि), भार (चार्ज) का प्रकार (गिरवी / बंधक आदि), जमानत (सिक्यूरिटी) रखने की तारीख / जमानत (सिक्यूरिटी) रखने की संभावित तारीख, न्यूनतम कितना जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखा गया, पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन)]	
जमानत (सिक्यूरिटी) में बदलाव, डिबेंचर धारक (डिबेंचर होल्डर) को कूपन दर के अलावा दिया जाने वाला ब्याज, जिसका उल्लेख न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में किया गया हो और जिसकी जानकारी निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में दी गई हो	
लेनदेन संबंधी दस्तावेज	
संवितरण (डिस्बर्समेंट) से पहले की शर्तें	
संवितरण (डिस्बर्समेंट) के बाद की शर्तें	
यह भी बताया जाए कि चूक होने की स्थिति में मतदान कैसे कराया जाएगा / इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट किन परिस्थितियों में किया जाएगा	
रिकवरी एक्सपेन्स फंड बनाना	
शर्तों आदि (प्रसंविदाएँ / कोविनेन्ट) [जिनका उल्लेख डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) में किया गया हो] का उल्लंघन किन परिस्थितियों में हुआ	
क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज़ से संबंधित प्रावधान	
डिबेंचर न्यासी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियाँ	
निर्गम से संबंधित जोखिम कारक	
किस कानून के तहत विनियमित है और किस क्षेत्राधिकार में आता है	

टिप्पणी:

- (क) यदि किसी घटना (जैसे कोई निश्चित समयावधि बीत जाने या रेटिंग कम कर दिए जाने) के कारण कूपन दर में कोई परिवर्तन हुआ हो, तो नई कूपन दर बताई जाएगी और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किस घटना के कारण कूपन दर में परिवर्तन करना पड़ा है।
- (ख) ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम (इश्यू) और उनमें पैसा लगाए जाने (सब्सक्रिप्शन) के संबंध में निष्पादित किए जा चुके दस्तावेजों की सूची लगाई जाएगी।
- (ग) हालाँकि, निर्गम संबंधी दस्तावेज की शर्तों के अनुसार डिबेंचर न्यासी के पक्ष में ऋण प्रतिभूतियों के मूलधन और उसके ब्याज की रकम के लिए शत प्रतिशत तक की जमानत रखी जाती है, फिर

भी डिबेंचर न्यासी की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जमानत हमेशा उतनी बनी रहे।

- (घ) निर्गमकर्ता अपने निर्गम संबंधी दस्तावेज में “निर्गम के उद्देश्य” के बारे में विस्तार से जानकारी प्रकट करेगा, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि जुटाए गए पैसे में से निर्गम के प्रत्येक उद्देश्य के लिए कितने प्रतिशत का इस्तेमाल करना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, निर्गमकर्ता द्वारा प्रस्तावित निर्गम के माध्यम से जुटाई गई रकम के पच्चीश प्रतिशत से अधिक का इस्तेमाल “साधारण कारपोरेट प्रयोजनों” के लिए नहीं किया जाएगा [सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के मामले में लागू]।”

(8) अनुसूची-II हट जाएगी।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./253/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:
 - (i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा,
 - (ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा,
 - (iii) 2 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119, द्वारा,
 - (iv) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/121, द्वारा, संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd July, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/135.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021,
 - (1) in regulation 2,
 - (a) in sub-regulation (1),
 - (i) after clause (s) and before clause (t), the following clause (sa) shall be inserted, namely –
“(sa) “key managerial personnel” means key managerial personnel as defined in sub-section (51) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”;
 - (ii) in clause (bb), the words and symbol “including a shelf placement memorandum,” shall be omitted;
 - (iii) after clause (ii) and before clause (jj), the following clause (iia) shall be inserted, namely –
“(iia) “senior management” shall mean the officers and personnel of the issuer who are members of its core management team, excluding the Board of Directors, and shall also comprise all the members of the management one level below the Chief Executive Officer or Managing Director or Whole Time Director or Manager (including Chief Executive Officer and Manager, in case they are not part of the Board of Directors) and shall specifically include the functional heads, by whatever name called and the Company Secretary and the Chief Financial Officer;”;
 - (iv) clause (jj) shall be omitted; and
 - (v) clause (pp) shall be omitted;
 - (2) in regulation 45,
 - (a) in sub-regulation (1),
 - (i) in clause (a), the words “Schedule II” shall be substituted with the words “Schedule I”; and
 - (ii) in sub-regulation (3), the words “and tranche placement memorandum” shall be deleted.
 - (3) regulation 47 shall be omitted;
 - (4) in regulation 50, in sub-regulation (3), in clause (a), the words “Schedule II” shall be substituted with the words “Schedule I”;
 - (5) after Chapter V and before Chapter VI, the following shall be inserted, namely –

“Chapter VA**ISSUANCE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES ISSUED ON A PRIVATE PLACEMENT BASIS****Filing of general information document and key information document**

50A. (1) An issuer making a private placement of non-convertible securities, and seeking listing thereof on stock exchange(s), shall file a general information document with the stock exchange(s), which shall contain the following disclosures, namely, -

- (a) disclosures specified in Schedule I of these regulations;

- (b) disclosures specified in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as applicable; and
- (c) additional disclosures as may be specified by the Board:

Provided that the provisions of this regulation shall be applicable on a 'comply or explain' basis until March 31, 2024 and on a mandatory basis thereafter:

Provided further that issuers making second or subsequent offers of non-convertible securities, during the validity of the shelf placement memorandum filed prior to the date of this regulation coming into force, shall not be required to file the general information document for such second or subsequent issuances so long as the key information document is filed in accordance with these regulations:

Provided further that an issuer that has filed a shelf prospectus in case of public issue under these regulations and subsequently intends to issue non-convertible securities on a private placement basis and seeks listing thereof, within the validity period of such shelf prospectus, shall not be required to file a general information document so long as the key information document is filed in accordance with these regulations.

Explanation I. – For the purposes of this regulation, “comply or explain” means that the issuer shall endeavour to comply and achieve full compliance, by filing a general information document instead of a placement memorandum for private placement of non-convertible securities sought to be listed, until March 31, 2024. In case the entity is not able to achieve full compliance with the provisions, till such time, it shall explain the reasons for such non-compliance or partial compliance, and the steps initiated to achieve full compliance, in such form and manner as may be specified by the Board from time to time.

Explanation II. – Nothing in this regulation shall exempt an entity undertaking a scheme of arrangement, under regulation 37 or regulation 59A or both of the listing regulations, from the filing of a general information document under sub-regulation (1), to be filed by the resultant entity, post implementation of such scheme of arrangement.

Explanation III. – For the purposes of this regulation, “shelf placement memorandum” means a placement memorandum in relation to the first issuance of non-convertible securities issued on a private placement basis, issued prior to this regulation coming into force and valid as on the date of this regulation coming into force.

(2) The general information document shall be valid for a period of one year from the date of opening of the first offer of non-convertible securities made under that general information document.

(3) In respect of a second or subsequent offer of non-convertible securities, during the period of validity of that general information document under sub-regulation (2), no further general information document shall be required to be filed.

(4) The general information document may indicate the size of the issue i.e., the amount of monies which the issuer proposes to raise during the period of validity of the general information document.

(5) An issuer making a private placement of second or subsequent offer of non-convertible securities, during the validity of the general information document or a shelf prospectus or a shelf placement memorandum, as the case may be, shall file a key information document for each such second or subsequent offer of non-convertible securities, with the stock exchange(s).

(6) The key information document shall contain the following information:

- (a) details of the offer of non-convertible securities in respect of which the key information document is being issued;
- (b) financial information, if such information provided in the general information document is more than six months old;
- (c) material changes, if any, in the information provided in the general information document;
- (d) any material developments not disclosed in the general information document, since the issue of the general information document relevant to the offer of non-convertible securities in respect of which the key information document is being issued; and
- (e) disclosures applicable in case of private placement of non-convertible securities as

specified in schedule I, in case the second or subsequent offer is made during the validity of the shelf prospectus for which no general information document has been filed.

Explanation. – For the purpose of this regulation, “material” shall mean anything which is likely to impact an investor’s informed investment decision.

(7) The disclosures made under this regulation shall be made on the websites of stock exchange(s) where such securities are proposed to be listed and shall be made available for download in PDF or any other format as may be specified by the Board.

(8) The issuer shall ensure that the audited financial statements disclosed under this regulation are not more than six months old from the date of filing draft placement memorandum or the issue opening date, as applicable:

Provided that issuers:

(a) whose non-convertible securities or specified securities are listed on recognised stock exchange(s), who are in compliance with the listing regulations, or

(b) who are subsidiaries of entities who have listed their specified securities, and are in compliance with the listing regulations,

may disclose unaudited financial information instead of audited financial statements for the interim period in the format as specified under the listing regulations, along with the limited review report, as filed with the stock exchange(s), subject to necessary disclosures, including risk factors, in this regard.

CHAPTER V B

REQUIREMENTS FOR LARGE CORPORATES

50B. (1) A listed entity, fulfilling the criteria as may be specified by the Board, shall be considered as a ‘Large Corporate’.

(2) Such Large Corporates shall comply with the conditions or requirements, as may be specified by the Board from time to time.”

(6) In Chapter VI, in regulation 51, after sub-regulation (1) and before sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely –

“(1A) An issuer that has filed a general information document under these regulations and subsequently intends to issue commercial paper and seeks listing thereof, during the validity period of such general information document, shall file a key information document with the disclosures as may be specified by the Board.

(1B) An issuer that has filed a shelf prospectus in case of public issue under these regulations and subsequently intends to issue Commercial Paper and seeks listing thereof, during the validity period of such shelf prospectus, shall not be required to file a general information document so long as the key information document is filed in accordance with these regulations.”

(7) Schedule I shall be substituted with the following, namely –

“SCHEDULE I

DISCLOSURES FOR ISSUE OF SECURITIES

[See Regulation 25(4), Regulation 28(2), Regulation 28(5), Regulation 41(3), Regulation 45(1) and Regulation 50(3)]

An issuer seeking to list its non-convertible securities on a recognized stock exchange issued by way of a public issue or private placement, shall make the disclosures specified in this schedule.

1. Instructions:

1.1. All information shall be relevant and updated as on the date of the offer document. The source and basis of all statements and claims shall be disclosed. Terms such as “market leader”, “leading player”, etc. shall be used only if these can be substantiated by citing a reliable source.

1.2. Simple English shall be used to enable easy understanding of the contents. Technical

terms, if any, used in explaining the business of the issuer shall be clarified in simple terms.

- 1.3. There shall be no forward-looking statements that cannot be substantiated.
- 1.4. Consistency shall be ensured in the style of disclosures. If first person is used, the same may be used throughout. Sentences that contain a combination of first and third persons may be avoided.
- 1.5. For currency of presentation, only one standard financial unit shall be used.

2. Interpretation:

- 2.1. In the case of public issuance of non-convertible securities, all references to “**non-convertible securities**” in this Schedule shall refer to debt securities and non-convertible redeemable preference shares.
- 2.2. In the case of public issuance of non-convertible securities, all references to “**issue document**” shall mean the offer document.
- 2.3. In the case of a private placement of non-convertible securities, all references to “issue document” shall mean the placement memorandum or the general information document, as the case may be.

3. Disclosures

- 3.1. **The disclosures stipulated herein are applicable to public issuance and private placement of non-convertible securities, unless specified otherwise.**
- 3.2. **The front page of the issue document shall contain the following information:**
 - (a) Name of the issuer, its logo (if any), corporate identity number, permanent account number, date and place of incorporation, latest registration/identification number issued by any regulatory authority which regulates such issuer (i.e., Reserve Bank of India, Insurance Regulatory Development Authority of India etc.), if applicable, address of its registered and corporate offices, telephone number, website address and e-mail address.
 - (b) Name, telephone number, email address of compliance officer, company secretary, chief financial officer and promoters.
 - (c) Name, addresses, logo, telephone numbers, email addresses and contact person of (wherever applicable):
 - Debenture Trustee,
 - Lead Manager(s), (*applicable in case of public issue*)
 - Statutory Auditors,
 - Credit Rating Agencies, and
 - Such other persons as may be specified.
 - (d) A disclosure that a copy of the issue document has been delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section (4) of Section 26 of Companies Act, 2013 (18 of 2013).
 - (e) Date of the issue document and type of issue document.
 - (f) The nature, number, price and amount of securities offered, and issue size (base issue or green shoe), as may be applicable.
 - (g) The aggregate amount proposed to be raised through all the stages of offers of non-convertible securities made through the shelf prospectus under section 31 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (*applicable in case of public issue*).
 - (h) The name, logo and address of the registrar to the issue, along with its telephone number, fax number, website address and e-mail address.
 - (i) The issue schedule:
 - (i) date of opening of the issue;

- (ii) date of closing of the issue;
- (iii) date of earliest closing of the issue, if any.
- (j) The credit rating (cross reference of press release to be provided) of the security along with all the ratings obtained by the issuer for that security.
- (k) The name(s) of the stock exchanges where the securities are proposed to be listed.
- (l) The details of eligible investors (*applicable in case of private placement*).
- (m) Coupon/dividend rate, coupon/dividend payment frequency, redemption date, redemption amount and details of debenture trustee.
- (n) Details about underwriting of the issue including the amount undertaken to be underwritten by the underwriters.
- (o) Inclusion of a compliance clause in relation to electronic book mechanism and details pertaining to the uploading the issue document on the Electronic Book Provider Platform (*applicable in case of private placement*).

3.3. Following **disclosure shall be contained in the other pages of the issue document:**

3.3.1. Issuer's Absolute Responsibility:

The following clause on 'Issuer's Absolute Responsibility' shall be incorporated in a box format:

"The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this issue document contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the issue document is true and correct in all material aspects and is not misleading, that the opinions and intentions expressed herein are honestly stated and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading."

3.3.2. Details of Promoters of the Issuer:

- (a) A complete profile of all the promoters, including their name, date of birth, age, personal addresses, educational qualifications, experience in the business or employment, positions/posts held in the past, directorships held, other ventures of each promoter, special achievements, their business and financial activities, photograph, permanent accountant number.
- (b) A declaration confirming that the permanent account number, Aadhaar number, driving license number, bank account number(s) and passport number of the promoters and permanent account number of directors have been submitted to the stock exchanges on which the non-convertible securities are proposed to be listed, at the time of filing the draft issue document.

3.3.3. Details of credit rating, along with the latest press release of the Credit Rating Agency in relation to the issue, and a declaration that the rating is valid as on the date of issuance and listing. Such press release shall not be older than one year from the date of opening of the issue.

3.3.4. Name(s) of the stock exchange(s) where the non-convertible securities are proposed to be listed and the details of in-principle approval for listing obtained from these stock exchange(s).

3.3.5. If non-convertible securities are proposed to be listed on more than one stock exchange(s) then the issuer shall specify the designated stock exchange for the issue. The issuer shall specify the stock exchange where the recovery expense fund is being or has been created, as specified by the Board.

3.3.6. The following details regarding the issue to be captured in a table format under "Issue Schedule", as set out below:

Particulars	Date
Issue Opening Date	
Issue Closing Date	
Pay In Date	
Deemed Date of Allotment	

3.3.7. Name, logo, addresses, website URL, email address, telephone number and contact person of:

- Legal counsel, (if any)
- Merchant banker and Co-managers to the issues, (*Not applicable for private placement. However, if appointed, to be disclosed*)
- Legal advisor, (*applicable in case of public issue*)
- Bankers to the issue, (*applicable in case of public issue*)
- Sponsor bank, (*applicable in case of public issue*)
- Guarantor, if any
- Arrangers, if any.

3.3.8. About the Issuer

The following details pertaining to the issuer:

- Overview and a brief summary of the business activities of the issuer;
- Structure of the group;
- A brief summary of the business activities of the subsidiaries of the issuer;
- Details of branches or units where the issuer carries on its business activities, if any;
- Project cost and means of financing, in case of funding of new projects.

3.3.9. **Expenses of the Issue:** Expenses of the issue along with a break up for each item of expense, including details of the fees payable to separately as under (in terms of amount, as a percentage of total issue expenses and as a percentage of total issue size), as applicable:

- Lead manager(s) fees,
- Underwriting commission,
- Brokerage, selling commission and upload fees,
- Fees payable to the registrars to the issue,
- Fees payable to the legal Advisors,
- Advertising and marketing expenses,
- Fees payable to the regulators including stock exchanges,
- Expenses incurred on printing and distribution of issue stationary,
- Any other fees, commission or payments under whatever nomenclature.

3.3.10. Financial Information:

- The audited financial statements (i.e. profit and loss statement, balance sheet and cash flow statement) both on a standalone and consolidated basis for a period of three completed years, which shall not be more than six months old from the date of the issue document or issue opening date, as applicable. Such financial statements shall be should be audited and certified by the statutory auditor(s) who holds a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (“ICAI”).

However, if the issuer, being a listed REIT/listed InvIT, has been in existence for a period of less than three completed years, and historical financial statements of such REIT/InvIT are not available for some portion or the entire portion of the reporting period of three years and the interim period, the combined financial statements shall be disclosed for the periods for which such historical financial statements are not available.

- (b) Listed issuers (whose debt securities or specified securities are listed on recognised stock exchange(s)) in compliance with the listing regulations, may disclose unaudited financial information for the interim period in the format as specified therein with limited review report in the issue document, as filed with the stock exchanges, instead of audited financial statements for the interim period, subject to making necessary disclosures in this regard in issue document including risk factors.
- (c) Issuers other than REITs/ InvITs desirous of issuing debt securities on private placement basis and who are in existence for less than three years may disclose financial statements mentioned at (a) above for such period of existence, subject to the following conditions:
- (i) The issue is made on the Electronic Book Platform of the stock exchange, irrespective of the issue size; and
 - (ii) In case of issue of securities on a private placement basis, the issue is open for subscription only to qualified institutional buyers.
- (d) The above financial statements shall be accompanied with the auditor's report along with the requisite schedules, footnotes, summary etc.
- (e) Key operational and financial parameters on consolidated and standalone basis.

For Non-Financial Sector Entities:

Standalone basis:

Balance Sheet				
Property, Plant and Equipment (including Capital Work in Progress and Investment Property)				
Intangible Assets (including Intangible Assets under Development)				
Financial Assets (Current and Non-Current)				
Other Non-Current assets				
Current assets				
Total Assets				
Financial Liabilities (Current and Non-Current)				
- Borrowings (including interest)				
- Other Financial Liabilities				
Non-Current Liabilities				
Current Liabilities				
Provisions				
Total Liabilities				
Equity (Equity Share Capital and Other Equity)				
Total Equity and Liabilities				
Profit and Loss				

Total revenue from operations				
Other Income				
Total Income				
Total Expenses				
Profit/ loss for the period				
Other Comprehensive income				
Total Comprehensive Income				
Earnings per equity share:				
(a) basic; and				
(b) diluted				
Cash Flow				
Net cash (used in)/ generated from operating activities (A)				
Net cash (used in)/ generated from investing activities (B)				
Net cash (used in)/ generated from financing activities (C)				
Net Increase/ (decrease) in Cash and Cash Equivalents				
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents				
Cash and cash equivalents at end of the period				

Consolidated basis:

Balance Sheet				
Property, Plant and Equipment (including Capital Work in Progress and Investment Property)				
Intangible Assets (including Intangible Assets under Development)				
Financial Assets (Current and Non-Current)				
Other Non-Current assets				
Current assets				
Total Assets				
Financial Liabilities (Current and Non-Current)				
- Borrowings (including interest)				
- Other Financial Liabilities				
Non-Current Liabilities				
Current Liabilities				
Provisions				
Total Liabilities				
Equity (Equity Share Capital and Other Equity)				
Total Equity and Liabilities				
Profit and Loss				
Total revenue from operations				
Other Income				

Total Income				
Total Expenses				
Profit / loss for the period				
Other Comprehensive income				
Total Comprehensive Income				
Earnings per equity share:				
(a) basic; and				
(b) diluted				
Cash Flow				
Net cash (used in)/ generated from operating activities (A)				
Net cash (used in) / generated from investing activities (B)				
Net cash (used in)/ generated from financing activities (C)				
Net Increase/ (decrease) in Cash and Cash Equivalents				
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents				
Cash and cash equivalents at end of the period				

Additional information				
Net worth				
Cash and Cash Equivalents				
Current Investments				
Net Sales				
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization				
Earnings before interest and taxes				
Dividend amounts				
Debt equity ratio				
Debt service coverage ratio				
Interest service coverage ratio				
Current ratio				
Long term debt to working capital				
Current liability ratio - current liabilities/ non-current liabilities				
Total debts to total assets				

For Financial Sector Entities:

Standalone basis:

For financial sector entities, unless otherwise specified by concerned sectoral regulator, key operational parameters shall be as per the format specified below:

Particulars				
BALANCE SHEET				

Assets				
Property, Plant and Equipment				
Financial Assets				
Non-financial Assets excluding property , plant and equipment				
Total Assets				
Liabilities				
Financial Liabilities				
-Derivative financial instruments				
-Trade Payables				
-Debt Securities				
-Borrowings (other than Debt Securities)				
-Subordinated liabilities				
-Other financial liabilities				
Non-Financial Liabilities				
-Current tax liabilities (net)				
-Provisions				
-Deferred tax liabilities (net)				
-Other non-financial liabilities				
Equity (Equity Share Capital and Other Equity)				
Total Liabilities and Equity				
PROFIT AND LOSS				
Revenue from operations				
Other Income				
Total Income				
Total Expense				
Profit after tax for the year				
Other Comprehensive income				
Total Comprehensive Income				
Earnings per equity share (Basic)				
Earnings per equity share (Diluted)				
Cash Flow				
Net cash from / used in(-) operating activities				

Net cash from / used in(-) investing activities				
Net cash from / used in (-)financing activities				
Net increase/decrease(-) in cash and cash equivalents				
Cash and cash equivalents as per Cash Flow Statement as at end of Half Year				
Additional Information				
Net worth				
Cash and cash equivalents				
Loans				
Loans (Principal Amount)				
Total Debts to Total Assets				
Interest Income				
Interest Expense				
Impairment on Financial Instruments				
Bad Debts to Loans				
% Stage 3 Loans on Loans(Principal Amount)				
% Net Stage 3 Loans on Loans (Principal Amount)				
Tier I Capital Adequacy Ratio (%)				
Tier II Capital Adequacy Ratio (%)				

Consolidated basis:

Particulars				
BALANCE SHEET				
Assets				
Property, Plant and Equipment				
Financial Assets				
Non-financial Assets excluding Property , Plant and Equipment				
Total Assets				
Liabilities				
Financial Liabilities				
-Derivative financial instruments				
-Trade Payables				
-Other Payables				
-Debt Securities				
-Borrowings (other than Debt Securities)				
-Deposits				
-Subordinated liabilities				
-Lease liabilities				

-Other financial liabilities				
Non-Financial Liabilities				
-Current tax liabilities (net)				
-Provisions				
-Deferred tax liabilities (net)				
-Other non-financial liabilities				
Equity (Equity Share Capital and Other Equity)				
Non-controlling interest				
Total Liabilities and Equity				
PROFIT AND LOSS				
Revenue from operations				
Other Income				
Total Income				
Total Expenses				
Profit after tax for the year				
Other Comprehensive Income				
Total Comprehensive Income				
Earnings per equity share (Basic)				
Earnings per equity share (Diluted)				
Cash Flow				
Net cash from / used in(-) operating activities				
Net cash from / used in(-) investing activities				
Net cash from / used in (-)financing activities				
Net increase/decrease(-) in cash and cash equivalents				
Cash and cash equivalents as per Cash Flow Statement as at end of Half Year				
Additional Information				
Net worth				
Cash and cash equivalents				
Loans				
Total Debts to Total Assets				
Interest Income				

Interest Expense				
Impairment on Financial Instruments				
Bad Debts to Loans				

- (f) Details of any other contingent liabilities of the issuer, based on the latest audited financial statements including amount and nature of liability.
- (g) The amount of corporate guarantee or letter of comfort issued by the issuer along with details of the counterparty (viz. name and nature of the counterparty, whether a subsidiary, joint venture entity, group company etc.) on behalf of whom it has been issued.

3.3.11. A brief history of the issuer since its incorporation giving details of its following activities:

- (a) Details of Share Capital as at last quarter end:

Share Capital	Amount
Authorized Share Capital	
Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital	

- (b) Changes in its capital structure as at last quarter end, for the preceding three financial years and current financial year:

Date of Change (Annual General Meeting/ Extraordinary General Meeting)	Particulars

- (c) Details of the equity share capital for the preceding three financial years and current financial year:

Date of Allotment	Number of Equity Shares	Face Value	Issue Price	Consideration (Cash, other than cash, etc.)	Nature of Allotment	Cumulative			Remarks
						Number of Equity Shares	Equity Share Capital	Equity Share Premium	

- (d) Details of any acquisition of or amalgamation with any entity in the preceding one year.

- (e) Details of any reorganization or reconstruction in the preceding one year:

Type of Event	Date of Announcement	Date of Completion	Details

- (f) Details of the shareholding of the company as at the latest quarter end, as per the format specified under the listing regulations.

- (g) List of top ten holders of equity shares of the company as at the latest quarter end:

S. No.	Name of the shareholders	Total number of Equity Shares	Number of shares in demat form	Total shareholding as % of total number of equity shares

3.3.12. Following details regarding the directors of the company

- (a) Details of the current directors of the company:

Name, Designation and DIN	Age	Address	Date of appointment	Details of other directorship

(b) Details of change in directors in the preceding three financial years and current financial year:

Name, Designation and DIN	Date of Appointment	Date of Cessation, if applicable	Date of resignation, if applicable	Remarks

(c) Details of directors' remuneration, and such particulars of the nature and extent of their interests in the issuer (during the current year and preceding three financial years):

- (i) Remuneration payable or paid to a director by the issuer, its subsidiary or associate company; shareholding of the director in the company, its subsidiaries and associate companies on a fully diluted basis;
- (ii) Appointment of any relatives to an office or place of profit of the issuer, its subsidiary or associate company;
- (iii) Full particulars of the nature and extent of interest, if any, of every director:
 - A. in the promotion of the issuer company; or
 - B. in any immoveable property acquired by the issuer company in the two years preceding the date of the issue document or any immoveable property proposed to be acquired by it; or
 - C. where the interest of such a director consists in being a member of a firm or company, the nature and extent of his interest in the firm or company, with a statement of all sums paid or agreed to be paid to him or to the firm or company in cash or shares or otherwise by any person either to induce him to become, or to help him qualify as a director, or otherwise for services rendered by him or by the firm or company, in connection with the promotion or formation of the issuer company shall be disclosed.

(d) Contribution being made by the directors as part of the offer or separately in furtherance of such objects.

3.3.13. Any financial or other material interest of the directors, promoters, key managerial personnel or senior management in the offer and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.

3.3.14. Following details regarding the auditors of the issuer:

(a) Details of the auditor of the Issuer:

Name of the Auditor	Address	Date of Appointment

(b) Details of change in auditor for preceding three financial years and current financial year:

Name of the Auditor	Address	Date of Appointment	Date of cessation, if applicable	Date of Resignation, if applicable

3.3.15. Details of the following liabilities of the issuer, as at the end of the preceding quarter, or if available, a later date:

(a) Details of outstanding secured loan facilities:

Name of lender	Type of Facility	Amount Sanctioned	Principal Amount outstanding	Repayment Date/Schedule	Security	Credit Rating, if applicable	Asset Classification

(b) Details of outstanding unsecured loan facilities:

Name of lender	Type of Facility	Amount Sanctioned	Principal Amount outstanding	Repayment Date / Schedule	Credit Rating, if applicable

(c) Details of outstanding non-convertible securities in the following format:

Series of NCS	ISIN	Tenor/ Period of Maturity	Coupon	Amount outstanding	Date of Allotment	Redemption Date/ Schedule	Credit Rating	Secured/ unsecured	Security

(d) Details of commercial paper issuances as at the end of the last quarter in the following format:

Series of NCS	ISIN	Tenor/ Period of Maturity	Coupon	Amount outstanding	Date of Allotment	Redemption Date/ Schedule	Credit Rating	Secured/ unsecured	Security	Other details viz. details of Issuing and Paying Agent, details of Credit Rating Agencies

(e) List of top ten holders of non-convertible securities in terms of value (on a cumulative basis):

S. No.	Name of holders	Category of holder	Face value of holding	Holding as a % of total outstanding non-convertible securities of the issuer

(f) List of top ten holders of Commercial Paper in terms of value (in cumulative basis):

Sl. No.	Name of holder	Category of holder	Face value of holding	Holding as a % of total commercial paper outstanding of the issuer

(g) Details of the bank fund based facilities/ rest of the borrowing (if any, including hybrid debt like Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB), Optionally Convertible Debentures/ Preference Shares) from financial institutions or financial creditors:

Name of Party (in case of facility)/ Name of Instrument	Type of facility / Instrument	Amount sanctioned/ issued	Principal Amount outstanding	Date of Repayment/ Schedule	Credit Rating	Secured/ Unsecured	Security

3.3.16. The amount of corporate guarantee or letter of comfort issued by the issuer along with name of the counterparty (like name of the subsidiary, joint venture entity, group company, etc.) on behalf of whom it has been issued, contingent liability including debt service reserve account guarantees/ any put option etc. (Details of any outstanding borrowings taken/ debt securities issued for consideration other than cash). This information shall be disclosed whether such borrowing/ debt securities have been taken/ issued:

- in whole or part,
- at a premium or discount, or
- in pursuance of an option or not.

3.3.17. Where the issuer is a Non-Banking Finance Company (NBFC) or Housing Finance Company, the following disclosures on Asset Liability Management (ALM) shall be provided for the latest audited financials:

S. No.	Particulars of disclosure	Details
1.	Details with regard to lending done out of the issue proceeds of earlier issuances of debt securities (whether public issue or private placement) by the issuer	Lending Policy Classification of Loans given to associate or entities related to Board, Key Managerial Personnel and Senior Management, promoters, etc. Classification of loans into several maturity profile denomination, Aggregated exposure to top 20 borrowers Details of loans, overdue and classified as Non-performing assets (NPA)
2.	Details of borrowings granted by issuer	Portfolio Summary of borrowings made by issuer Quantum and percentage of Secured vs. Unsecured borrowings
3.	Details of change in shareholding	Any change in promoters' shareholding in the issuer during preceding financial year beyond the threshold prescribed by Reserve Bank of India
4.	Disclosure of Assets under-management	Segment wise break up and type of loans
5.	Details of borrowers	Geographical location wise
6.	Details of Gross NPA	Segment wise
7.	Details of Assets and Liabilities	Residual maturity profile wise into several bucket
8.	Additional details of loans made by issuer where it is a Housing Finance Company	
9.	Disclosure of latest ALM statements to stock exchange	

3.3.18. Details of all default/s and/or delay in payments of interest and principal of any kind of term loans, debt securities, commercial paper (including technical delay) and other financial indebtedness including corporate guarantee or letters of comfort issued by the company, in the preceding three years and the current financial year.

- 3.3.19. Any material event/ development or change having implications on the financials/credit quality (e.g. any material regulatory proceedings against the issuer/promoters, litigations resulting in material liabilities, corporate restructuring event etc.) at the time of issue which may affect the issue or the investor's decision to invest / continue to invest in the non-convertible securities/commercial paper.
- 3.3.20. Any litigation or legal action pending or taken by a Government Department or a statutory body or regulatory body during the three years immediately preceding the year of the issue of the issue document against the promoter of the company.
- 3.3.21. Details of default and non-payment of statutory dues for the preceding three financial years and current financial year.
- 3.3.22. Details of pending litigation involving the issuer, promoter, director, subsidiaries, group companies or any other person, whose outcome could have material adverse effect on the financial position of the issuer, which may affect the issue or the investor's decision to invest / continue to invest in the debt securities and/or non-convertible redeemable preference shares.
- 3.3.23. Details of acts of material frauds committed against the issuer in the preceding three financial years and current financial year, if any, and if so, the action taken by the issuer.
- 3.3.24. Details of pending proceedings initiated against the issuer for economic offences, if any.
- 3.3.25. Related party transactions entered during the preceding three financial years and current financial year with regard to loans made or, guarantees given or securities provided.
- 3.3.26. The issue document shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not, and has not been, engaged or interested in the formation or promotion or management, of the company and has given his written consent to the issue of the issue document and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of the issue document to the Registrar (as applicable) for registration and a statement to that effect shall be included in the issue document.
- 3.3.27. In case the issuer is a Non-Banking Finance Company (NBFC) and the objects of the issue entail loan to any entity who is a 'group company' then disclosures shall be made in the following format:

S No.	Name of the Borrower (A)	Amount of Advances /exposures to such borrower (Group) (Rs. Crore) (B)	Percentage of Exposure (C)= B/Total Assets Under Management

- 3.3.28. In order to allow investors to better assess the issue, the following additional disclosures shall be made by the issuer in the issue documents:
- (i) A portfolio summary with regards to industries/ sectors to which borrowings have been granted by NBFCs.
 - (ii) Quantum and percentage of secured vis-à-vis unsecured borrowings granted by NBFCs.
 - (iii) Any change in promoters' holdings in NBFCs during the preceding financial year beyond the threshold specified by the Reserve Bank of India from time to time.
- 3.3.29. Declaration in case of public issue with regards to the following:
- (a) procedure of allotment of debt securities and non-convertible redeemable preference shares and unblocking of funds in case of refund;
 - (b) a statement by the Board of Directors about the separate bank account where all monies received out of the issue are to be transferred, and disclosure of details of all monies including utilised and unutilised monies

out of the previous issue in the prescribed manner;

- (c) the details of all utilized and unutilised monies out of the monies collected in the previous issue made by way of public offer shall be disclosed and continued to be disclosed in the balance sheet till the time any part of the proceeds of such previous issue remains unutilized, the purpose for which such monies have been utilized, and the securities or other forms of financial assets in which such unutilized monies have been invested; and
- (d) the interim use of funds, if any.

3.3.30. Disclaimer Clauses:

- (a) The issue document shall contain the following disclaimer clause in bold and capital letters:

“It is to be distinctly understood that filing of the issue document to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) should not in any way be deemed or construed to mean that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the issue document. The lead manager(s), has certified that the disclosures made in the issue document are generally adequate and are in conformity with the regulations. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making investment in the proposed issue.”

- (b) Disclaimer Statement from the issuer and lead manager(s): A statement to the effect that the issuer and the lead manager(s) accept no responsibility for statements made otherwise than in the issue document or in the advertisement or any other material issued by or at the instance of the issuer and that anyone placing reliance on any other source of information would be doing so at their own risk.
- (c) Disclaimer in respect of jurisdiction: A brief paragraph mentioning the jurisdiction under which provisions of law and the rules and regulations are applicable to the issue document.
- (d) Disclaimer clause of the stock exchanges and Credit Rating Agencies.
- (e) Disclaimer clause of the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India or of any other relevant regulatory authority.

3.3.31. Consent of directors, auditors, bankers to issue, trustees, solicitors or advocates to the issue, legal advisors to the issue, lead managers to the issue, Registrar to the Issue, and lenders (if required, as per the terms of the agreement) and experts.

3.3.32. The names of the debenture trustee(s) shall be mentioned with a statement to the effect that debenture trustee(s) has given its consent for appointment along with the copy of the consent letter from the debenture trustee.

3.3.33. If the security is backed by a guarantee or letter of comfort or any other document of a similar nature, a copy of the same shall be disclosed. In case such document does not contain the detailed payment structure (procedure of invocation of guarantee and receipt of payment by the investor along with timelines), the same shall be disclosed in the issue document.

3.3.34. Disclosure of cash flow with date of interest/dividend/ redemption payment as per day count convention:

- (a) The day count convention for dates on which the payments in relation to the non-convertible securities which need to be made, should be disclosed.
- (b) Procedure and time schedule for allotment and issue of securities should be disclosed.
- (c) Cash flows emanating from the non-convertible securities shall be mentioned in the issue document, by way of an illustration.

3.3.35. Undertaking by the Issuer:

- (a) Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the any regulatory authority in India, including the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' given on page number under the section 'General Risks'.
- (b) The Issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for, and confirms that this issue document contains all information with regard to the issuer and the issue, that the information contained in the issue document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.
- (c) The issuer has no side letter with any debt securities holder except the one(s) disclosed in the issue document. Any covenants later added shall be disclosed on the stock exchange website where the debt is listed.

3.3.36. Risk factors:

- (a) Risk factors shall be disclosed in the descending order of materiality. Wherever risks about material impact are stated, likely or potential implications should be disclosed.
- (b) Risk factors if applicable, should include but not be limited to the following:
 - (i) Risks in relation to the non-convertible securities.
 - (ii) Risks in relation to the security created in relation to the debt securities, if any.
 - (iii) Refusal of listing of any security of the issuer during preceding three financial years and current financial year by any of the stock exchanges in India or abroad.
 - (iv) Limited or sporadic trading of non-convertible securities of the issuer on the stock exchanges.
 - (v) In case of outstanding debt instruments or deposits or borrowings, any default in compliance with the material covenants such as creation of security as per terms agreed, default in payment of interest, default in redemption or repayment, non-creation of debenture redemption reserve, default in payment of penal interest wherever applicable.
 - (vi) If secured, any risks in relation to maintenance of security cover or full recovery of the security in case of enforcement
 - (vii) A risk factor to state that while the debenture is secured against a charge to the tune of 100% of the principal and interest amount in favour of debenture trustee, and it is the duty of the debenture trustee to monitor that the security is maintained, however, the possibility of recovery of 100% of the amount shall depend on the market scenario prevalent at the time of enforcement of the security.
 - (viii) All covenants including the accelerated payment covenants given by way of side letters shall be incorporated in the issue document by the issuer.
- (c) The issuer shall make a declaration about the compliance and a statement

to the effect that nothing in the issue document is contrary to the provisions of Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the rules and regulations made thereunder.

3.3.37. The directors in case of a body corporate and such authorized persons in case the issuer is not a body corporate shall attest that:

- (a) the issuer is in compliance with the provisions of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules and regulations made thereunder;
- (b) the compliance with the Acts and the rules and regulations does not imply that payment of dividend or interest or repayment of non-convertible securities, is guaranteed by the Central Government;
- (c) the monies received under the offer shall be used only for the purposes and objects indicated in the issue document;
- (d) whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association;
- (e) The following clause on 'General Risk' shall be incorporated in a box format:

“Investment in non-convertible securities is risky, and investors should not invest any funds in such securities unless they can afford to take the risk attached to such investments. Investors are advised to take an informed decision and to read the risk factors carefully before investing in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their examination of the issue including the risks involved in it. Specific attention of investors is invited to statement of risk factors contained under Section [•] of this issue document. These risks are not, and are not intended to be, a complete list of all risks and considerations relevant to the non-convertible securities or investor’s decision to purchase such securities.”

3.3.38. In case of an issue of non-convertible redeemable preference shares, the following specific disclosure on the nature of the instrument in bold, on the cover page:

“Instruments offered through the issue document are non-convertible redeemable preference shares and not debentures/bonds. They are riskier than debentures/bonds and may not carry any guaranteed coupon and can be redeemed only out of the distributable profits of the company or out of the proceeds of a fresh issue of shares made, if any, by the company for the purposes of the redemption.”

3.3.39. Other details:

- (a) Creation of Debenture Redemption Reserve (DRR) / Capital Redemption Reserve (CRR) - relevant legislations and applicability
- (b) Issue/instrument specific regulations - relevant details (Companies Act, 2013 (18 of 2013), guidelines issued by the Reserve Bank of India, etc.)
- (c) Default in payment
- (d) Delay in listing
- (e) Delay in allotment of securities
- (f) Issue details
- (g) Application process
- (h) Disclosure required under form PAS-4 under Companies (Prospectus and

Allotment of Securities), Rules, 2014 but not contained in this schedule, if any.

- (i) Project details: gestation period of the project; extent of progress made in the project; deadlines for completion of the project; the summary of the project appraisal report (if any), schedule of implementation of the project;

3.3.40. Other Details in case of non-convertible redeemable preference shares issue:

- (a) Nature of the instrument: whether cumulative or non-cumulative and complete details thereof;
- (b) Terms of Redemption: Out of distributable profits or out of fresh issue of shares for the purpose of redemption or both.

3.3.41. The issue document shall include the following other matters and reports, namely:

- (a) If the proceeds, or any part of the proceeds, of the issue of the debt securities/non-convertible redeemable preference shares are or is to be applied directly or indirectly:
 - (i) in the purchase of any business; or
 - (ii) in the purchase of an interest in any business and by reason of that purchase, or anything to be done in consequence thereof, or in connection therewith,

the company shall become entitled to an interest in either the capital or profits and losses or both, in such business exceeding fifty per cent. thereof, a report made by a chartered accountant (who shall be named in the issue document) upon –

A. the profits or losses of the business for each of the three financial years immediately preceding the date of the issue of the issue document; and

B. the assets and liabilities of the business as on the latest date to which the accounts of the business were made up, being a date not more than one hundred and twenty days before the date of the issue of the issue document.

- (b) In purchase or acquisition of any immovable property including indirect acquisition of immovable property for which advances have been paid to third parties, disclosures regarding:
 - (i) the names, addresses, descriptions and occupations of the vendors;
 - (ii) the amount paid or payable in cash, to the vendor and where there is more than one vendor, or the company is a sub-purchaser, the amount so paid or payable to each vendor, specifying separately the amount, if any, paid or payable for goodwill;
 - (iii) the nature of the title or interest in such property proposed to be acquired by the company; and
 - (iv) the particulars of every transaction relating to the property completed within the two preceding years, in which any vendor of the property or any person who is or was at the time of the transaction, a promoter or a director or proposed director of the company, had any interest, direct or indirect, specifying the date of the transaction and the name of such promoter, director or proposed director and stating the amount payable by or to such vendor, promoter, director or proposed director in respect of the transaction:

Provided that if the number of vendors is more than five, then the disclosures as required above shall be on an aggregated basis, specifying the immovable property being acquired on a contiguous basis with mention of the location/total area and the number of vendors from whom it is being acquired and the aggregate value being paid. Details of minimum amount, the maximum amount and the average amount paid/ payable should also be disclosed for each immovable property.

- (c) If:
- (i) the proceeds, or any part of the proceeds, of the issue of the debt securities/non-convertible redeemable preference shares are or are to be applied directly or indirectly and in any manner resulting in the acquisition by the company of shares in any other body corporate; and
 - (ii) by reason of that acquisition or anything to be done in consequence thereof or in connection therewith, that body corporate shall become a subsidiary of the company, a report shall be made by a Chartered Accountant (who shall be named in the issue document) upon –
 - A. the profits or losses of the other body corporate for each of the three financial years immediately preceding the issue of the issue document; and
 - B. the assets and liabilities of the other body corporate as on the latest date to which its accounts were made up.
- (d) The said report shall:
- (i) indicate how the profits or losses of the other body corporate dealt with by the report would, in respect of the shares to be acquired, have concerned members of the issuer company and what allowance would have been required to be made, in relation to assets and liabilities so dealt with for the holders of the balance shares, if the issuer company had at all material times held the shares proposed to be acquired; and
 - (ii) where the other body corporate has subsidiaries, deal with the profits or losses and the assets and liabilities of the body corporate and its subsidiaries in the manner as provided in paragraph (c) (ii) above.
- (e) The broad lending and borrowing policy including summary of the key terms and conditions of the term loans such as re-scheduling, prepayment, penalty, default; and where such lending or borrowing is between the issuer and its subsidiaries or associates, matters relating to terms and conditions of the term loans including re-scheduling, prepayment, penalty, default shall be disclosed.
- (f) The aggregate number of securities of the issuer company and its subsidiary companies purchased or sold by the promoter group, and by the directors of the company which is a promoter of the issuer company, and by the directors of the issuer company and their relatives, within six months immediately preceding the date of filing the issue document with the Registrar of Companies, shall be disclosed.
- (g) The matters relating to:
- (i) Material contracts;
 - (ii) Time and place at which the contracts together with documents will be available for inspection from the date of issue document until the date of closing of subscription list.
- (h) Reference to the relevant page number of the audit report which sets out the details of the related party transactions entered during the three financial years immediately preceding the issue of issue document.
- (i) The summary of reservations or qualifications or adverse remarks of auditors in the three financial years immediately preceding the year of issue of issue document, and of their impact on the financial statements and financial position of the company, and the corrective steps taken and proposed to be taken by the company for each of the said reservations or qualifications or adverse remarks.
- (j) The details of:
- any inquiry, inspections or investigations initiated or conducted under the

securities laws or Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any previous companies law;

- prosecutions filed, if any (whether pending or not); and
- fines imposed or offences compounded,

in the three years immediately preceding the year of issue of issue document in the case of the issuer being a company and all of its subsidiaries.

- (k) The details of acts of material frauds committed against the issuer in the preceding three financial years and current financial year, if any, and actions taken by the issuer.

Summary of terms – Terms to be included in the issue document:

Security Name (Name of the non-convertible securities which includes (Coupon/dividend, Issuer Name and maturity year) e.g. 8.70% XXX 2015.	
Issuer	
Type of Instrument	
Nature of Instrument (Secured or Unsecured)	
Seniority (Senior or Subordinated)	
Eligible Investors	
Listing (name of stock Exchange(s) where it will be listed and timeline for listing)	
Rating of the Instrument	
Issue Size	
Minimum subscription	
Option to retain oversubscription (Amount)	
Objects of the Issue / Purpose for which there is requirement of funds	
In case the issuer is an NBFC and the objects of the issue entail loan to any entity who is a 'group company' then disclosures shall be made in the following format:	
Details of the utilization of the Proceeds	
Coupon / Dividend Rate	
Step Up/Step Down Coupon Rate	
Coupon/Dividend Payment Frequency	
Coupon / Dividend payment dates	
Cumulative / non-cumulative, in case of dividend	
Coupon Type (Fixed, floating or other structure)	
Coupon Reset Process (including rates, spread, effective date, interest rate cap and floor etc).	
Day Count Basis (Actual/Actual)	
Interest on Application Money	
Default Interest Rate	
Tenor	
Redemption Date	
Redemption Amount	
Redemption Premium /Discount	

Issue Price	
Discount at which security is issued and the effective yield as a result of such discount.	
Premium/Discount at which security is redeemed and the effective yield as a result of such premium/discount.	
Put Date	
Put Price	
Call] Date	
Call Price	
Put Notification Time (Timelines by which the investor need to intimate Issuer before exercising the put)	
Call Notification Time (Timelines by which the Issuer need to intimate investor before exercising the call)	
Face Value	
Minimum Application and in multiples of thereafter	
Issue Timing	
Issue Opening Date	
Issue Closing date	
Date of earliest closing of the issue, if any.	
Pay-in Date	
Deemed Date of Allotment	
Settlement mode of the Instrument	
Depository	
Disclosure of Interest/Dividend / redemption dates	
Record Date	
All covenants of the issue (including side letters, accelerated payment clause, etc.)	
Description regarding Security (where applicable) including type of security (movable/immovable/tangible etc.), type of charge (pledge/ hypothecation/ mortgage etc.), date of creation of security/ likely date of creation of security, minimum security cover, revaluation	
Replacement of security, interest to the debenture holder over and above the coupon rate as specified in the Trust Deed and disclosed in the issue document	
Transaction Documents	
Conditions Precedent to Disbursement	
Condition Subsequent to Disbursement	
Event of Default (including manner of voting /conditions of joining Inter Creditor Agreement)	
Creation of recovery expense fund	
Conditions for breach of covenants (as specified in Debenture Trust Deed)	
Provisions related to Cross Default Clause	
Role and Responsibilities of Debenture Trustee	
Risk factors pertaining to the issue	
Governing Law and Jurisdiction	

Notes:

- (a) If there is any change in coupon rate pursuant to any event including lapse of certain time period or downgrade in rating, then such new coupon rate and the events which lead to such change should be disclosed.
 - (b) The list of documents which have been executed in connection with the issue and subscription of debt securities shall be annexed.
 - (c) While the debt securities are secured to the extent of hundred per cent. of the amount of principal and interest or as per the terms of issue document, in favour of debenture trustee, it is the duty of the debenture trustee to monitor that the security is maintained.
 - (d) The issuer shall provide granular disclosures in their issue document, with regards to the “Object of the Issue” including the percentage of the issue proceeds earmarked for each of the “object of the issue”. Further, the amount earmarked “General Corporate Purposes”, shall not exceed twenty-five per cent. of the amount raised by the issuer in the proposed issue (*applicable in case of public issue*).”
- (8) schedule II shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADV.T.-III/4/Exty./253/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:
 - (i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.
 - (ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.
 - (iii) February 2, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.
 - (iv) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.